रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 24 1998 (कार्तिक 2, 1920)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24, 1998 (KARTIKA 2, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बम्बई, दिनांक 25 सितम्बर, 1998

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी/52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के अनुलग्नक राजपत्र सं० 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के नियम 18 के अनुपालन में अगस्त, 1998 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची को गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिनके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई है और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है ।

"सूची क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ ग्राम	किसके नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किए जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) के नाम	जारी किए गए आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980 'क' शृंखला—नागपुर सर्किल			
एनजी—000610	9 ग्राम स्वर्ण	बन्सीधर ब्रिजलाल तिवारी	12-2-66	बन्सीधर ब्रिजलाल तिवारी	सीओ 7 दिनांक 6-7-98

"सूची ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ ग्राम	किसके नाम से जारी की गई	ब्याज धारित किए जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/ भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार(रों) का के नाम	जारी किए गए आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
		भायखला सर्किल			
		10 प्रतिशत राहत बांड 1995			
बीसी—598	10,00,000/-	दौलत हिरानंद खत्री	23-12-96	दौलत हिरानंद खत्री	06,25,14 20-7-98
		मुंबई सर्किल			
		स्वर्ण बांड 1998			
बीबाई/आरपीटी/ 0000 12	2368 ग्राम	1. राम परीक्षण गुप्ता 2. श्यामा गुप्ता 3. सुरेशचंद्र गुप्ता	अवधि समाप्त पर	1. राम परीक्षण गुप्ता 2. श्यामा गुप्ता 3. सुरेशचंद्र गुप्ता	मामला सं० 20.4 2060 महा प्रबंधक के दिनांक 31-7-1998 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 90 दिनांक 31-7-1998
बीबाई/आरपीटी/ 0000 43	641 ग्राम	1. श्यामा गुप्ता 2. राम परीक्षण गुप्ता 3. सुरेशचंद्र गुप्ता	—वही—	1. श्यामा गुप्ता 2. राम परीक्षण गुप्ता 3. सुरेशचंद्र गुप्ता	मामला सं० 20.4 2061 महा प्रबंधक के दिनांक 31-7-1998 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 90 दिनांक 31-7-1998
बीबाई/आरपीटी/ 0000 11	600 ग्राम	1. सुरेशचंद्र गुप्ता 2. राम परीक्षण गुप्ता 3. श्यामा गुप्ता	—वही—	1. सुरेशचंद्र गुप्ता 2. राम परीक्षण गुप्ता 3. श्यामा गुप्ता	मामला सं० 20.04 2061 महा प्रबंधक के दिनांक 31-7-1998 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 90 दिनांक 31-7-1998

1	2	3	4	5	6
बीवाई/आरकेएन/ 000763	524 ग्राम	सत्यम खन्ना (माइनर)	अवधि समाप्त पर	सत्यम खन्ना (माइनर)	मामला सं० 20.42071 महा प्रबंधक के दिनांक 4-8-1998 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 111 दिनांक 5-8-1998
बीवाई/आरकेएन/ 000764	517 ग्राम	सत्यम खन्ना (माइनर)	—वही—	सत्यम खन्ना (माइनर)	—वही—
बीवाई/आरकेएन/ 000731	537 ग्राम	रचना खन्ना (माइनर)	—वही—	रचना खन्ना (माइनर)	मामला सं० 20.42070 महा प्रबंधक दिनांक 4-8-1998 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 111 दिनांक 5-8-1998
बीवाई/आरकेएन/ 000624	500 ग्राम	राम कृष्णन खन्ना एवं सबीना खन्ना	—वही—	राम कृष्णन खन्ना एवं सबीना खन्ना	मामला सं० 20.42069 महा प्रबंधक के दिनांक 4-8-1998 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 111 दिनांक 5-8-1998
बीवाई/आरकेएन/ 000625	500 ग्राम	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
बीवाई/आरकेएन/ 000626	501 ग्राम	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
		6 1/2 प्रतिशत ऋण 2005 (कानपुर सर्किल)			
केएन-000727	5,000/-	मैसर्स गंगा नरायन कपूर	उन्नीसवीं छमाही किस्त से ब्याज वय (1-10-86 से)	लक्ष्मी कान्त झुनझुनवाला	आईआर 1779/66 दिनांक 4-6-98 (फाइल सं० 09.12 261)

एन० ए० आहाले,
कृते मुख्य महा प्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1998

सं० यू-16/53/98-चि०-2 (महाराष्ट्र)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के सम्बन्ध म कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा नासिक केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (पश्चिमी जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मामकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा० (श्रीमती) आर० पी० रेगे की सेवाएं 1-10-98 से 30-9-99 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशों के कार्यग्रहण करने तक जो भी पहले हो, बढ़ाती हूं।

डा० (श्रीमती) एस. सिंह,
चिकित्सा आयुक्त

पंजाब यूनिवर्सिटी

अधिसूचना क्रमांक 1–98/डी० आर०—केन्द्रीय सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ० 3–2/95, यू० आई०/डेस्क दिनांकित 27–3–98 द्वारा निम्नांकित विनियमों को मंजूरी दे दी है :—

1. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर भाग 1, 1994 के पृष्ठ 70, 75 और 80 पर दिये अध्याय 1 (डी) में निहित सामान्य कोष के चुनाव से संबंधित विनियमों 5, 17 और 19.1 का संशोधन। इसे भारत सरकार की मंजूरी और भारत सरकार के गजट में प्रकाशन से पूर्व सीनेट द्वारा दी गई मंजूरी की तिथि से लागू किया जाये :

5. स्नातकों का पंजीकरण :

बी० (1) स्नातकों द्वारा आजीवन सदस्य के रूप में पंजीकरण के लिये एकमुश्त निर्धारित फीस 15/– रुपये होगी।

1. आरम्भ में दी गयी 5/– रुपये की फीस; और

2. जीवन के लिये 10/– रुपये की सम्मिश्र फीस के साथ 1/– रुपये की पहली वार्षिक फीस। } विलोपित

(5) जिस स्नातक ने जीवन के लिये सम्मिश्र फीस नहीं दी, उसको मत डालने का अथवा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा।

(6) पंजीकृत स्नातक जीवन के लिये सम्मिश्र फीस का बकाया अदा कर सकता है जिसके बाद उससे कोई फीस वसूल नहीं की जायेगी। } विलोपित

(7) जब कभी पंजीकृत स्नातकों द्वारा सामान्य फीलो का चुनाव किया जाना हो, तो रजिस्ट्रार इस मतलब की विज्ञप्ति द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी करेगा कि बाकीदार इस नोटिस की तिथि से 30 दिनों में बकाया फीस जमा करवायेंगे, जिसे न देने की हालत में आगामी चुनाव के लिये कोई अन्य नोटिस दिये बगैर उनके नाम निर्वाचक सूची में से निकाल दिये जायेंगे।

(1) चुनाव की तिथि
(2) उस द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि
(3) जिस तिथि तक यह अदायगी की जानी है।
(क) ऊपर दिये गये नोटिस के साथ बाकीदार द्वारा उत्तर देने के लिये एक फार्म (परिशिष्ट डी) भी भेजा जायेगा।
(ख) ऊपर दिये नोटिस के उत्तर में बाकीदार यह सूचना प्रदान करेगा :
(1) मनीआर्डर की तिथि और यदि फीस मनीआर्डर द्वारा भेजी गई है तो यह तथ्य कि उसने अपनी पंजीकरण संख्या मनीआर्डर के कूपन में लिख दी है।
(2) यदि यह राशि यूनिवर्सिटी के कैशियर के पास जमा करवाई है तो उसकी रसीद संख्या और अदायगी की तिथि।
परिशिष्ट "सी" में निर्धारित नोटिस के अतिरिक्त इस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को; जिस तरह भी चुनाव अधिकारी उचित समझे समाचारपत्र/समाचारपत्रों द्वारा सूचित किया जायेगा कि वे किसी विशेष तिथि तक बकाया राशि की अदायगी कर दें जिसे न देने की हालत में उनके नाम इस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्टर में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। } विलोपित

17. (4) पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुनाव लड़ रहा प्रत्येक उम्मीदवार रजिस्ट्रार के पास नामांकन पेपर प्राप्त करने की निश्चित तिथि और घंटे पर नकद 500/– रुपये जमा करवायेगा। यह राशि यूनिवर्सिटी द्वारा जब्त कर ली जायेगी यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में निरसन के समय अपने कोटे का कम से कम एक-चौथाई प्राप्त नहीं कर लेता; परन्तु यह राशि वापिस कर दी जायेगी यदि वह निर्वाचन अधिकारी को इस मतलब के लिये निश्चित तिथि तक अपना नाम वापिस लेने की सूचना दे देता है।

(8) (सी०) उस मतदाता को मतपर्ची जारी नहीं की जायेगी जो मतदान के लिये निर्धारित समय में मतकेन्द्र पर उपस्थित नहीं होगा और वह पहचान के लिये मतदान के समय निर्वाचन अधिकारी के सामने निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता :

1. अपना हाल ही में बनाया पहचानपत्रक;
2. सामान्य चुनाव का पहचानपत्रक;
3. पहले दर्जे के मैजिस्ट्रेट द्वारा फोटो सहित प्रमाणित किया गया प्रमाणपत्र।

मतदान हो जाने पर और मतदान का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् मतपेटी को बंद कर दिया जायेगा और इसे यूनिवर्सिटी के कार्यालय में ले जाया जायेगा। मतपेटी को सुरक्षा के लिये रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया जायेगा।

19.1 विनियमों 18.1 और 18.2 में वर्णन किये गये अनुसार निर्वाचन अधिकारी अथवा प्रधान अधिकारी के नोटिस में लाये गये मामलों के संबंध में याचिका और चुनाव से संबंधित निम्नलिखित नुकतों में से किसी के बारे में याचिका

परिणाम घोषित होने के 10 दिनों में 250/– रुपये की जमानत सहित रजिस्ट्रार के पास पहुंच जानी चाहिये और यदि यह याचिका रद्द कर दी गई तो यह राशि जब्त कर ली जायेगी।

2. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग 1, 1994 के पृष्ठ 95–96 पर दिये "सामान्य फैलोज के चुनाव के लिये कार्यक्रम" से संबंधित परिशिष्ट (एफ) 1 का संशोधन और इसे भारत सरकार की मंजूरी और भारत सरकार के गजट में प्रकाशन से पूर्व सीनेट द्वारा स्वीकृत तिथि से लागू किया जाये :

परिशिष्ट (एफ) (1)

सामान्य फैलोज के चुनाव का कार्यक्रम

क्र. सं.	विषय	विभिन्न घटनाओं के लिये प्रस्तावित अन्तराल
(1)	(2)	(3)
1.	चुनाव तिथि की सूचना का नोटिस जारी करना	चुनाव के लिये निश्चित तिथि से 240 दिन पहले
2.	प्रैस के जरिये से याचीदारों को नोटिस जारी करना और प्रैस नोटिस को 10 दिन बाद दोहराना	चुनाव के लिये निश्चित तिथि से 240 दिन पहले।
3.	स्नातकों का वर्तमान रजिस्टर उपलब्ध बनाना	चुनाव के लिये निश्चित तिथि से 240 दिन पहले।
4.	यूनिवर्सिटी को बकाया/सम्मिश्र फीस देने के लिये अदायगी की तिथि	चुनाव की तिथि से 210 दिन पहले।
5.	नये पंजीकरण के लिये फीस सहित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	चुनाव की तिथि से 210 दिन पहले।
6.	स्नातकों का अनुपूरक रजिस्टर उपलब्ध बनाना	चुनाव की तिथि से 180 दिन पहले।
7.	पता बदलने की सूचना प्राप्त करने की अंतिम तिथि	चुनाव की तिथि से 150 दिन पहले।
8.	दावे और एतराज प्राप्त करने की अंतिम तिथि	चुनाव की तिथि से 90 दिन पहले।
9.	रजिस्ट्रार द्वारा दावों और एतराजों की छानबीन	चुनाव की तिथि से 80 दिन पहले और यदि आवश्यकता हो तो अनुवर्ती दिनों में भी।
10.	रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध एतराजों पर विचार करने के लिये समिति की बैठक	दावों और एतराजों को निपटाने के अगले दिन।
11.	स्नातकों का अंतिम रजिस्टर उपलब्ध बनाना	चुनाव की तिथि से 55 दिन पहले।
12.	नामांकन पत्र मांगने का नोटिस जारी करना (इसकी एक प्रति को यूनिवर्सिटी कार्यालय के नोटिस-बोर्ड पर भी चिपकाना)	चुनाव की तिथि से 54 दिन पहले।
13.	नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	चुनाव से 45वें दिन पहले 3 बजे तक।
14.	500/– रुपये जमा करवाने की अंतिम तिथि	चुनाव से 45वें दिन पहले तीन बजे तक।
15.	चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन की तिथि	चुनाव की तिथि से 43 दिन पहले।
16.	नामांकन पत्रों की छानबीन और प्रामाणिक पाये गये नामांकन पत्रों वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन की तिथि	चुनाव की तिथि से 40 दिन पहले।
17.	नामांकन पत्रों के लिये एतराज प्राप्त करने की अंतिम तिथि	चुनाव की तिथि से 35 दिन पहले।
18.	उम्मीदवारों का नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि.	चुनाव की तिथि से 30वें दिन पहले तीन बजे तक।
19.	मतपत्रों की रवानगी	चुनाव की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले पूरी करना।
20.	चुनाव की तिथि	—

3. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर भाग 1, 1994 के पृष्ठ 69 पर "द पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्टस कमेटी" से संबंधित अध्याय 11 (ए) (vii) में निहित विनियम 1 और 2 का संशोधन;

1. एक स्पोर्टस कमेटी होगी जिसका नाम द पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्टस कमेटी होगा।

2. इस कमेटी का संविधान, उद्देश्य और कार्य समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निर्धारित किये जायेंगे और नियमों में सम्मिलित किये जायेंगे।

4. पंजाब यूनिवर्सिटी कलेण्डर, भाग 1, 1994 के पृष्ठ पर "फैकलटीज" से संबंधित अध्याय 11 (ए) में निहित विनियम 13 और 15 का संशोधन और इसे सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी और सरकार द्वारा गजट अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व लागू किया जाये :

13. (i) प्रत्येक फैकल्टी नीचे दिये मामलों के बारे में बोर्ड ऑफ स्टडीज बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की सिफारिशों पर विचार करेगी और अनुमति देगी अथवा इनको जैसी भी स्थिति हो, फैकल्टी द्वारा किये संशोधनों सहित, यदि कोई हो, विद्या परिषद और अथवा सिण्डिकेट के पास भेजेगी:

(क) यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के लिये परीक्षार्थियों द्वारा अध्ययन किये जाने वाले पाठ्यक्रम और पठन कोर्स;

(ख) विभिन्न कोर्सों में दाखिले के लिये अपेक्षित न्यूनतम योग्यतायें;

(ग) डिग्रियों, डिप्लोमों, लाइसेन्सों और सम्मान चिह्नों में प्रवेश के लिये परीक्षार्थियों द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य शर्तें;

(ii) विद्या परिषद और अथवा सिण्डिकेट द्वारा राय के लिये भेजे किसी अन्य मामले पर विचार करना।

15.1 शिक्षा और पाठ्यक्रम के विकास से संबंधित नीति मामलों जिसका निर्णय कुलपति जी ने करना है। और वर्तमान कोर्सों में मुख्य परिवर्तन अथवा अन्तर अनुशासनीय प्रभाव वाले मामलों के बारे में भाषाओं, आर्टस, साईंस, बिजनिस मैनेजमेंट और कामर्स, एजुकेशन अर्थात् डिजाइन और फाइन आर्टस की फैकल्टियों की सिफारिशों को मंजूरी के लिये विद्या परिषद के सामने रखना होगा। परिषद संबंधित फैकल्टी के पास पुनर्विचार के लिये वापिस भेजे बिना इन सिफारिशों परिवर्तन, संशोधन अथवा तरमीम नहीं करेगी यदि ऐसा करने पर भी फैकल्टी और विद्या परिषद में मतभेद रहता है, तो अन्तिम मंजूरी के लिये फैकल्टी की सिफारिशों को विद्या परिषद की सिफारिशों सहित सिंडिकेट के सामने रखा जायेगा।

5. पंजाब यूनिवर्सिटी कलेण्डर, भाग 1, 1994 के पृष्ठ 62 पर बोर्ड ऑफ स्टडीज इन एजुकेशन से संबंधित विनियम 2.5 (डी) का संशोधन :

2.5 बोर्ड ऑफ स्टडीज इन एजुकेशन में ये सम्मिलित होंगे :

(ए) से (सी) *** *** ***

(डी) विनियमों में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार एजुकेशन कालेजों के प्रिंसिपलों और पूर्ण-कालिक अध्यापकों/पंजाब यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग के पूर्णकालिक अध्यापकों और सम्बद्ध कालेजों में शिक्षा का विषय पढ़ा रहे पूर्णकालिक अध्यापकों में से दस सदस्य चुने जाते हैं।

(ई) *** *** ***

6. पंजाब यूनिवर्सिटी कलेण्डर, भाग 1, 1994 के पृष्ठ 172 पर विद्यार्थियों की रिहायश, स्वास्थ्य, कल्याण आचार VI और अनुशासन से संबंधित अध्याय VII (डी) में निहित विनियम 10 का संशोधन :

10. सम्बद्ध कालेज, यूनिवर्सिटी के अध्यापन विभाग/संस्था/स्कूल में दाखिल प्रत्येक विद्यार्थी 15/-- रुपये प्रति वर्ष यूनिवर्सिटी स्पोर्टस फीस अथवा समय/समय [illegible] द्वारा निर्धारित फीस अदा करेगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्टस कमेटी को दे दी जायेगी।

7. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 107-110 पर मास्टर ऑफ आर्टस परीक्षा के लिये विनियम 3.1 का संशोधन :

3.1 जिस व्यक्ति ने इस यूनिवर्सिटी, अथवा 1946 से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर, अथवा किसी अन्य यूनिवर्सिटी से, जिस की परीक्षा को इस यूनिवर्सिटी की अनुसारी परीक्षा के समान मान्यता प्राप्त है, निम्नांकित में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह एम० ए० कोर्स को पहले साल (भाग I) की कक्षा में दाखिल होने के योग्य होगा।

(1) (ए) से (जी) *** *** ***

(एच) फिलासफी के कोर्स के लिये,

(i) जिस व्यक्ति ने मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थ विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित अथवा भौतिकी में 45% अंकों से बी० ए० पास की है।

(ii) जिस व्यक्ति ने गुरु ग्रंथ आचार्य/शास्त्री (अंग्रेजी के विषय के साथ नई स्कीम) परीक्षा पास की है, परन्तु शर्त यह है कि उसने ग्रेजुएट स्तर पर अंग्रेजी का विषय पास किया हो।

8. पंजाब यूनिवर्सिटी कलेण्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 178 पर कम्प्यूटर साइंस एण्ड एप्लिकेशन्ज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में दाखिले से संबंधित विनियम 3 का संशोधन, और इसे सिंडिकेट/सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी/सरकार की गजट अधिसूचना में प्रकाशन से पहले लागू किया जाये :

3. इस कोर्स में दाखिले के लिये न्यूनतम योग्यता होगी :

(i) कम से कम 55% अंकों सहित शिक्षा 10+2+3 के प्रणाली के अन्तर्गत बचुलर की डिग्री और फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स, इलैक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर साइन्स, स्टेटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, इकना-मिक्स में से कोई दो विषय अथवा बी० एस० सी०, इंजीनियरिंग बी० टैक/बी० ई०/बी० एस० सी० आनर्ज स्कूल/बी० काम 55% अंकों सहित।

(ii) सिण्डिकेट द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा जो ऊपर (i) के समान हो।

9. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 268–69 पर बैचुलर ऑफ एजुकेशन (बी० एड) परीक्षा के लिये विनियम 2.1 के अपवाद 2 का विलोपन :

2.1 जिस व्यक्ति की निम्नांकित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता है, वह इस कोर्स में दाखिला लेने के योग्य होगा :

(ए) से (ई) * * * *

व्याख्या (i) से (ii) * * *

अपवाद 1. अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़ी श्रेणियों C आर्थिक तौर पर पिछड़ी श्रेणियों को छोड़कर) की हालत में, 45 प्रतिशत की शर्त को 5 प्रतिशत कम किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने विनियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम पास अंक प्राप्त किये हों।

2. जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर से 1948 से पहले बी ए०/बी० एस० सी० की परीक्षा पास की है, उसे 45 प्रतिशत की शर्त से छूट दी जायेगी। } विलोपित

10. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 272 पर बी० एड परीक्षा के लिये विनियम 11.3 का परिवर्धन :

विनियम का परिवर्धन

11.3 जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बी० एड डिग्री प्राप्त करने के लिये योग्यता प्राप्त कर ली है, उसे अपना निष्पादन सुधारने के लिये बी० एड परीक्षा में पहले दिये विषयों में प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर रि-अपियर होने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि परीक्षार्थी ने इस समय के दौरान में इस फैकल्टी में कोई उच्च कोर्स पास न किया हो।

इस उद्देश्य के लिये, उसे अपनी बी० एड० परीक्षा पास कर लेने के बाद दो लगातार अवसरों में परीक्षा देने की अनुमति दी जायेगी और उसे रि-अपियर परीक्षा केवल नये पाठ्यक्रम के साथ देनी होगी।

11. शास्त्री (3 वर्षीय डिग्री कोर्स) परीक्षा (1994 की परीक्षाओं से लागू) के लिये विनियम 2.3 का परिवर्धन और इसे सिंडिकेट/सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी से पहले लागू किया जाये :

विनियम का परिवर्धन

2.3 जिस व्यक्ति की इस यूनिवर्सिटी की पाक-शास्त्री परीक्षा अथवा इसके समान मान्यता प्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी की परीक्षा में कम्पार्टमेंट आई है, वह अस्थायी रूप में शास्त्री (3 वर्षीय डिग्री कोर्स) के भाग I में दाखिल होने/परीक्षा देने के योग्य होगा। यदि वह निम्न परीक्षा के कम्पार्टमेंट पेपर में, जिसमें उसको कम्पार्टमेंट में रखा गया था, उसके तुरन्त आगामी दो लगातार अवसरों में पास नहीं हो पाता, तो शास्त्री (3 वर्षीय डिग्री कोर्स) भाग I परीक्षा के लिये उसका अस्थाई दाखिला और उसका शास्त्री (3 वर्षीय डिग्री कोर्स) का परिणाम भी रद्द कर दिया जायेगा।

12. एम. एस०सी. (आनर्स) (स्कूल) (वार्षिक प्रणाली) के लिये विनियम 5 का संशोधन :

5. वही परीक्षार्थी भाग I/II में परीक्षा दे सकेगा जिसने एक शैक्षिक वर्ष पूर्व विनियम 2 में दी गयी परीक्षा पास कर ली है और जिसका नाम उस यूनिवर्सिटी विभाग के अध्यक्ष द्वारा परीक्षाओं के कंट्रोलर को भेजा गया है जिसमें वह हाल ही में उपस्थित रहा है, और जो संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है :

(क) परीक्षा से पहले शैक्षिक वर्ष में यूनिवर्सिटी विभाग में उपस्थित रहने का;

(ख) सदाचरण का, और

(ग) कम से कम (क) उसकी कक्षा को नियत पेपरों में दिये लैक्चरों के पूर्ण कोर्स में से 66 प्रतिशत में उपस्थित होने का, और (ख) 66 प्रतिशत प्रैक्टिकल क्लास लगाने का और (ग) प्रोजैक्ट रिपोर्ट अथवा शोधनिबंध/शोध प्रबंध अथवा दोनों की हालत में इसे संतोषजनक ढंग से और विभागाध्यक्ष द्वारा दी गयी हिदायतों के अनुसार संपूर्ण करने का परीक्षार्थी को अपनी प्रोजक्ट रिपोर्ट/शोधनिबंध/शोध प्रबंध इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि यह भाग II की परीक्षा आरंभ होने से कम से कम 25 दिन पहले यूनिवर्सिटी पहुंच जाये।

13. बैचुलर ऑफ डैन्टल सरजरी कोर्स (बी०डी०एस०) के लिये परिशिष्ट के अनुसार विनियम (1993 की परीक्षा से लागू)।

पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़

मद संख्या 13 का परिशिष्ट

1993 की परीक्षा से लागू होने वाले बैचुलर ऑफ डेन्टल सरजरी (बी०डी०एस०) कोर्स के लिए विनियम।

1.1 बैचुलर ऑफ डैन्टल सरजरी की डिग्री के लिए शिक्षण कोर्स की अवधि पांच वर्ष होगी।

1.2 चार परीक्षाएं होंगी जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, और अंतिम। पहली परीक्षा पहले वर्ष के अंत में, दूसरी

परीक्षा दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरी परीक्षा तीसरे साल के अंत में और अंतिम परीक्षा चौथे वर्ष के अंत में होगी ।

अंतिम परीक्षा के बाद एक वर्ष की अनिवार्य सवेतन आवर्ती इन्टर्नशिप होगी ।

1.3 ये परीक्षाएं उपयुक्त तिथियों पर साल में दो बार अप्रैल/मई और सितंबर/अक्तूबर के महीनों में अथवा समय-समय पर उपयुक्त युनिवर्सिटी प्राधिकारी द्वारा निश्चित तिथियों पर होंगी ।

1.4 परीक्षा के लिए दाखिला फार्म, नियत फीस के साथ और लेट फीस के साथ/बगैर जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने की तिथियों को अथवा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित राशि को यूनिवर्सिटी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा ।

2.1 जिस व्यक्ति की दाखिले के वर्ष में 31 दिसंबर तक 17 वर्ष या इससे अधिक आयु है, और निम्नांकित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता है, वह प्रवेश परीक्षण पास करने के पश्चात् 1994 के दाखिलों से लागू इस कोर्स के पहले वर्ष में दाखिल होने के योग्य होगा :

(i) फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बॉटनी और जुआलोजी के कुल अंकों में से कम से कम 50 प्रतिशत सहित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड/सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से 10+2 परीक्षा; बशर्ते कि उसने 10+2 स्तर की अंग्रेजी की परीक्षा पास की हो ।

(ii) फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बॉटनी और जुआलोजी के कुल अंकों में से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली की 10+2 परीक्षा के समान सिंडिकेट द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी/बोर्ड से कोई परीक्षा, बशर्ते कि उसने 10+2 स्तर की अंग्रेजी की परीक्षा पास की हो ।

2.2 (क) जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली बी० डी० एस० परीक्षा पास कर ली है अथवा भारत में किसी अन्य मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी की परीक्षा जिसे मेडिकल साइंसिज की फैकल्टी की सिफारिशों पर सिंडिकेट इस परीक्षा के समान मानती है, वह दूसरे वर्ष की बी०डी०एस० कक्षा में दाखिल होने के योग्य होगा । परन्तु जो परीक्षार्थी अप्रैल की परीक्षा में पहली बार फेल हो जाता है, उसे आगामी अक्तूबर तक अगली कक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु यदि वह सितम्बर की परीक्षा में भी फेल हो जाता है, तो उसको पहली बी०डी०एस० कक्षा में बैठने के लिए वापिस भेज दिया जायेगा ।

(ख) जिस परीक्षार्थी ने निम्नांकित प्राप्त किया हो :

(i) भारत की यूनिवर्सिटी से एम०बी०बी०एस० डिग्री
अथवा
(ii) कोई अन्य मैडिकल योग्यता
(iii) पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेशनल परीक्षा के एनाटोमी और फिजिआलोजी के विषय पास किये हों ।

} मैडिकल साइंसिज की फैकल्टी की सिफारिशों पर इस उद्देश्य के लिए सिंडिकेट द्वारा समान माना गया

उसको डेन्टल मैटालर्जी के विषय को छोड़कर पहली बी०डी०एस० परीक्षा से छूट दी जायेगी ।

2.3 जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी की दूसरी बी० डी०एस० परीक्षा पास कर ली है, वह तीसरे वर्ष की बी०डी० एस० कक्षा में दाखिल होने के योग्य होगा ।

जिस व्यक्ति ने पैथालोजी और बैक्टिरिया मैडिकल विषयों को :

(i) भारत की यूनिवर्सिटी की एम० बी० बी० एस० परीक्षा में पास कर लिया है :—

अथवा

(ii) मेडिकल साइंसेस की फैकल्टी की सिफारिश पर सिंडीकेट द्वारा इस उद्देश्य के लिए समान मानी जाती कोई अन्य मेडिकल योग्यता प्राप्त की है, उसको दूसरी बी० डी० एस० परीक्षा के केवल जनरल पैथोलोजी और बैक्टिरिआलोजी विषयों से छूट दी जाएगी ।

2.4 (क) जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी की तीसरी बी० डी० एस० परीक्षा पास की है, वह बी०डी०एस० की अन्तिम कक्षा में दाखिला होने के योग्य होगा ।

(ख) जिस परीक्षार्थी ने —

(i) भारत की यूनिवर्सिटी से एम० बी० बी० एस० डिग्री प्राप्त की है ;

अथवा

(ii) मैडिकल साइंसिज की फैकल्टी की सिफारिश पर सिंडीकेट द्वारा इस उद्देश्य के लिए समान मानी जाती कोई अन्य मेडिकल योग्यता प्राप्त की है, उसको तीसरी बी० डी० एस० परीक्षा के केवल मेडिसिन और सरजरी के विषयों से छूट दी जाएगी । उसकी डेन्टल मैटिरिया मेडिका विषय में परीक्षा ली जाएगी जिसे डेन्टल सर्जरी के साथ समझा जाएगा और पैथोलोजी को डेन्टल बैक्टिरियालोजी के साथ समझा जाएगा । इन सबको मिलाकर एक विषय माना जाएगा । इसके अलावा उसको ह्यूमन डेन्टल अनाटोमी, फिजियालोजी और डेन्टल हिस्टालोजी के विषयों में परीक्षा

ली जाएगी जिनका विस्तार दूसरी बी० डी० एस० परीक्षा के विनियम 4.4 दिया गया है ।

2.5 जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी की अंतिम बी० डी० एस० परीक्षा पास की है, उसको एक वर्ष की अनिवार्य वेतन आधारी इन्टर्नशिप करनी पड़ेगी ।

3.1 जिस विद्यार्थी के पास विनियमों 2.1/2.2/2.3/2.4 में निर्धारित योग्यताएं है और बैचेलर आफ डैन्टल सरजरी की डिग्री के लिए मेडिकल साइंसिज की फैकल्टी में यूनिवर्सिटी के साथ सम्बद्ध मैडिकल/डैन्टल कालेज के प्रिंसिपल द्वारा सही तरह प्रमाणित निम्नांकित शर्तें पूरी करता है, वह पहली/दूसरी/तीसरी/अन्तिम बी० डी० एस० परीक्षा देने के योग्य होगा :—

(क) परीक्षा से पूर्व शैक्षिक वर्ष में सारा साल कालेज में उपस्थित रहने की ;

(ख) सदाचरण की ;

(ग) पूर्ण कोर्स के 75 प्रतिशत में उपस्थित रहने की

(i) दिए गए लैक्चरों में और
(ii) किए गए डिमानस्ट्रेशन और प्रैक्टिकलों में

} प्रत्येक विषय में अलग-अलग तौर पर

(घ) पहली परीक्षा की हालत में, सिर और गरदन का विच्छेदन पूर्ण करने की ।

3.2 लैक्चरों, डिमानस्ट्रेशनों और प्रैक्टिकलों में लैक्चरों की अपेक्षित संख्या में न्यूनता को वास्तविक रूप में किए डिमानस्ट्रेशनों और प्रैक्टिकलों के 5 प्रतिशत तक प्रिंसिपल माफ कर सकता है ।

3.3 जिस परीक्षार्थी ने इन विनियमों के अनुसार नियत कोर्स पूर्ण कर लिया है और परीक्षा नहीं दे पाता, और परीक्षा देने के बावजूद फेल हो जाता है, उसे नीचे दिए गए अनुसार, प्रत्येक अवसर पर निश्चित फीस की अदायगी के बाद, और उस मैडिकल डैंटल कालेज के प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, जिसमें उसने यह कोर्स पूरा किया है, कि पिछली बार फेल होने के बाद प्रिंसिपल द्वारा निर्धारित किए अनुसार परीक्षा के विषयों में प्रशिक्षण के कोर्स में उपस्थित रहा है, अनुवर्ती परीक्षा में दाखिल किया जा सकता है ।

दूसरी, तीसरी और
अन्तिम परीक्षाएं : एक अथवा दो अनुवर्ती परीक्षाएं ।

4.1 परीक्षा उपयुक्त यूनिवर्सिटी प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी ।

4.2 परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा ।

4.3 प्रत्येक परीक्षा के प्रत्येक विषय में कुल अंकों के दस प्रतिशत क्लास के काम के लिए नियत किए जाएंगे जिसमें रोज का काम और लिखित और मौखिक आवधिक कक्षा परीक्षाएं सम्मिलित होंगी । 5 प्रतिशत अंक थिओरी /लिखित काम के लिए होंगे और 5 प्रतिशत क्लिनिकल (क्लिनिकल विषय की हालत में) अथवा पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम बी० डी० एस० परीक्षाओं में दूसरे विषयों की हालत मौखिक और प्रैक्टिकल में होंगे ।

4.4 प्रत्येक परीक्षार्थी मेडिकल साइंसिज की फैकल्टी द्वारा समय-समय पर निर्धारित विषय लेगा ।

5. परीक्षार्थी द्वारा निम्नांकित के लिए देने वाली परीक्षा फीस की राशि :

पहली
दूसरी
तीसरी और
अन्तिम परीक्षाओं

} के लिए सक्षम यूनिवर्सिटी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की जाएगी ।

6.1 प्रत्येक परीक्षा को पास करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक निम्न अनुसार होंगे :

(क) प्रत्येक विषय के लिखित भाग में 50 प्रतिशत;

(ख) प्रत्येक विषय के मौखिक और प्रैक्टिकल/क्लिनिकल भागों में 50 प्रतिशत

6.2 जो परीक्षार्थी एक अथवा दो विषयों में पास अंक प्राप्त करता है, उसको ऐसे विषयों में रि-अपियर होने की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि :—

(क) पहली बी० डी० एस० परीक्षा की हालत में उसको विनियम 3.3 में निर्धारित समय में सभी तीन विषयों में पास होना चाहिए ;

(ख) दूसरी, तीसरी और अन्तिम परीक्षाओं की हालत में वह परीक्षा में पहले बैठने के समय से दो साल की अवधि में समूची परीक्षा पास कर लेता है, नहीं तो उसको एक बार फिर सारी परीक्षा में बैठना पड़ेगा ।

7.1 परीक्षाओं का कन्ट्रोलर परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् जितनी जल्दी सम्भव हो, परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करेगा ।

7.2 सफल परीक्षार्थी जो किसी विषय में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उनको उस विषय में "अशिष्टय

पहली परीक्षा के लिए : परीक्षार्थी को अगली तीन लगातार परीक्षाएं देने की अनुमति दी जा सकती है। जो परीक्षार्थी लगातार चार अवसरों, में जिसमें उसका पहला मूल अवसर भी सम्मिलित होगा, सभी तीन विषयों में पास होने के असमर्थ रहता है उसे बी० डी० एस० कोर्स के लिए अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखने दी जाएगी ।

से" पास किए गया घोषित किया जाएगा बशर्ते कि वे उस परीक्षा के सभी विषयों को एक साथ पास करे ।

7.3 पहली/दूसरी/तीसरी परीक्षा के सफल परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा के लिए डिटेलड मार्कस सर्टिफिकेट दिया जायेगा ।

अन्तिम परीक्षा के सफल परीक्षार्थी को केवल तभी डिग्री प्रदान की जाएगी जब वह एक वर्ष की अनिवार्य सवेतन आवर्ती इन्टर्नशिप समाप्त कर लेगा ।

14. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग , 1988 के पृष्ठ 109 पर मास्टर आफ आर्टस परीक्षा के लिए विनियम 3.1(ix)(1) (ख) का संशोधन :

3.1 (viii) *** *** ***

3.1 (x)1 (ख) एनशन्यट इन्डियन हिसटरी, कलचर एण्ड आर्कियालाजी कोर्स के लिए, केवल वही व्यक्ति पात्रता प्राप्त होगा जिसने इतिहास अथवा संस्कृत अथवा दर्शन अथवा कला अथवा राजनीति विज्ञान अथवा समाज विज्ञान अथवा लोक प्रशासन अथवा भूगोल अथवा अर्थ शास्त्र के साथ उस विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करके बी० ए०/बी० एस-सी० पास की है ।

जिस व्यक्ति ने ऊपर दिए गए विषयों में से किसी भी विषय में एम० ए० की है, वह भी इस कोर्स में दाखिला होने के लिए पात्रता प्राप्त होगा ।

15. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 262–67 पर डेयरिंग, एनिमल हसबण्डरी और कृषि की फैकल्टिओं में पी० एच० डी० डिग्री के लिए विनियमों का विलोपन, क्योंकि ये विनियम अब निष्क्रिय हो गया है ।

16. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 268–69 पर बैचलर आफ एजुकेशन (बी० शि०) के लिए विनियम 2.1 का संशोधन और यह 1977 की परीक्षाओं से लागू किया गया :—

2.1 जिस व्यक्ति की निम्नांकित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता है, वह इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए पात्रता प्राप्त होगा :

(क) से (घ) *** ***

व्याख्या:—(i) जिस परीक्षार्थी को यूनिवर्सिटी की बी० एस-सी० (आनर्स स्कूल) परीक्षा के आधार पर बी० एस-सी० पास डिग्री प्रदान की गई है, उसे कुल अंकों में से 50 प्रतिशत अंकों से पास हुआ समझा जाएगा ।

(ii) जो परीक्षार्थी बी०ए०/बी०एस-सी० की डिग्री प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त विषय/विषयों में पास हुआ हो, उसके अनिवार्य विषय/विषयों और तीन वैकल्पिक अथवा अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए कुल अंकों में से 45 प्रतिशत अंकों तक हिसाब में लाए जाएंगे ।

17. पंजाब यूनिवर्सिटी कलेन्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 270 पर बी० ऐ० परीक्षा के लिए विनियम 5.1 का संशोधन और इसे 1997 की परीक्षा से लागू किया जाये :—

5.1 परीक्षा के निम्नानुसार दो भाग होंगे :—

भाग I–थिअरी पेपर

भाग II–प्रैक्टिकल (पाठ्यक्रम में दिये गये विस्तार के अनुसार)

बशर्ते कि :—

(i) *** ***

(ii) कला के अध्यापन का विषय वही परीक्षार्थी ले सकता है जिसने बी० ए० की परीक्षा में ललित कलाओं का विषय लिया हो अथवा किसी मान्यता-प्राप्त संस्था से बी०ए० डिग्री और ड्राइंग और पेंटिंग अथवा आर्ट और क्राफ्ट डीचरज कोर्स में डिप्लोमा लिया हो ।

(iii) संगीत नृत्य अथवा शारीरिक शिक्षा के विषय का अध्यापन वही परीक्षार्थी लेगा जिसने संबंधित विषय अपने ग्रेजुएट स्तर अथवा समान परीक्षा में लिया हो ।

(iv) समाज विज्ञानों के अध्यापन का विषय वह परीक्षार्थी लेगा जिने निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय बी०ए० अथवा एम ०ए०/ एम० एस-सी० स्तर पर लिया हो । इतिहास, भूगोल/राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, कामर्स अथवा मनोविज्ञान ।

18. परिशिष्ट में दिये गये अनुसार (i) डिप्लोमा इन मार्किटिंग मैनेजिमेंट, (ii) डिप्लोमा इन पर्सनल मैनिजमेंट एण्ड लेबर वेलफेयर, (iii) मास्टर आफ कामर्स (एम० काम०), (iv) मास्टर आफ बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन (अंशकालीन), (v) मास्टर इन पर्सनल मैनिजमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन, (vi) डिप्लोमा इन आफिस आरगेनाइजेशन एण्ड प्रोसीजरज, (vii) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल ट्रेड, (viii) बिजनिस मैनिजमेंट और कामर्स की फैकल्टी में डाक्टर आफ फिलासफी और (ix) मास्टर आफ इंटर नेशनल बिजनिस (एम आई बी) के लिये विनियमों का संशोधन और इसे 16.2.1995 से लागू किया जाये ।

मद संख्या 18 का परिशिष्ट

(i) कैलेण्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 307–310 पर डिप्लोमा इन मार्किटिंग मैनेजमेंट के लिए 2.2, 4.5. 6.1 और 11 विनियमों का संशोधन

2.2 यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष प्रत्येक सिमेस्टर के लिए परीक्षा शुरू होने से कम से कम पांच सप्ताह पूर्व उन विद्यार्थियों की सूची दाखिला फार्मों और फीस सहित परीक्षा-कंट्रोलर को भेजेगा जिन्होंने विनियमों की शर्तें पूरी की हैं और परीक्षा देने के योग्य हैं।

4. प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा समय समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम में दिये विषयों में ली जायेगी।

प्रत्येक पेपर में सेमिनार, प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा को छोड़कर 50 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन के लिये निश्चित किये जायेंगे।

सेमिनार, प्रोजेक्ट और कर्मशाला का मूल्यांकन आंतरिक तौर पर 100 प्रतिशत आधार पर किया जायेगा। मौखिक परीक्षा आंतरिक और बाह्य परीक्षकों द्वारा मिलकर ली जायेगी।

यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष आवधिक परीक्षणों, लिखित असाइनमेंट, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं आदि पर आधारित इन अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक सप्ताह पहले परीक्षा-कंट्रोलर को भेजेगा।

5. यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिये जरूरत पड़ने पर रिकार्ड को परिणाम घोषित करने से छः महीने तक सुरक्षित रखेगा जिसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार किये गये हैं।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष को परीक्षा शुरू होने तक कम से कम 10 दिन पहले प्रस्तुत की जायेंगी। निश्चित तिथि के बाद रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जायेंगी।

6.1 पहले सिमेस्टर की परीक्षा उस नियमित विद्यार्थी के लिए खुली होगी जो—

(i) पहले सिमेस्टर की परीक्षा से एक सिमेस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो; और

(ii) प्रत्येक पेपर के लिये 66 प्रतिशत लेक्चरों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजेक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (10 प्रतिशत तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है)।

6.2 दूसरे सिमेस्टर की परीक्षा उस नियमित विद्यार्थी के लिए खुली होगी जो—

(क) दूसरे सिमेस्टर की परीक्षा से एक सिमेस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो;

(ख) प्रत्येक पेपर के लिए 66 प्रतिशत लेक्चरों, सैमिनारों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजेक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (10 प्रतिशत तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है; और

(ग) *** *** ***

(i) यदि किसी परीक्षार्थी को उस पेपर में रिअपियर होना पड़े जिसमें 100 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन होता है, उसे नये सिरे से लैक्चरों में उपस्थित होने के बिना उस पेपर में पास होने के लिए एक और अवसर दिया जायेगा। काम की इस असाइनमेंट का मूल्यांकन यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है।

(ii) कैलेण्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 311–314 पर डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एण्ड लेबर वैलफेयर के लिए 2.2, 4, 5, 5.1, 6.2 और 10 विनियमनों का संशोधन

2.2 यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष प्रत्येक सिमेस्टर के लिए परीक्षा शुरू होने से कम से कम पांच सप्ताह पूर्व उन विद्यार्थियों की सूची दाखिला फार्म और फीस सहित परीक्षा कंट्रोलर को भेजेगा जिन्होंने विनियमों की शर्तें पूरी की हैं और परीक्षा देने के योग्य हैं।

4. प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा समय समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम में दिये विषयों में ली जायेगी।

प्रत्येक पेपर में सेमिनार, प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा को छोड़कर 50 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निश्चित किये जायेंगे।

सेमिनार, प्रोजेक्ट और कर्मशाला का मूल्यांकन आंतरिक तौर पर 100% आधार पर किया जायेगा। मौखिक परीक्षा आंतरिक और बाह्य परीक्षक द्वारा मिलकर ली जायेगी।

यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष आवधिक परीक्षणों लिखित असाइनमेंट, विषय की परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं आदि पर आधारित इन अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक सप्ताह पहले परीक्षाओं के कंट्रोलर को भेजेगा।

5. यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिए जरूरत पड़ने पर रिकार्ड को परिणाम घोषित करने से छः महीने तक सुरक्षित रखेगा जिसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार किए गए हैं।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले प्रस्तुत की जायगी। निश्चित तिथि के बाद रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।

6.1 पहले सिमेस्टर की परीक्षा उस नियमित विद्यार्थी के लिए खुली होगी जो —

(i) पहले सिमेस्टर की परीक्षा से एक सिमेस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो; और

(ii) प्रत्येक पेपर के लिए 66% लैक्चरों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजेक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो ;

(10% तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है)।

6.2 दूसरे सिमैस्टर की परीक्षा उस नियमित विद्यार्थी के लिए खुली होगी जो—

(क) दूसरे सिमैस्टर की परीक्षा से एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो ;

(ख) प्रत्येक पेपर के 66% लैक्चरों, सैमीनारों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (10% तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है; और

(ग) ... ...

10. यदि किसी परीक्षार्थी को उस पेपर में रिअपियर होना पड़े जिसमें 100% आंतरिक मूल्यांकन होता है। उसे नये सिरे से लैक्चरों में उपस्थित होने के बिना उस पेपर में पास होने के लिए एक और अवसर दिया जायेगा। काम की इस असाइनमेंट का मूल्यांकन यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है।

(iii) कैलेन्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 315–319 पर मास्टर आफ कामर्स (एम० काम०) परीक्षा के लिए 2.2, 4,5, 6.1, 6.7, 9 और 12 विनियमों का संशोधन

2.2 यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष/कालेज का प्रिंसिपल प्रत्येक सिमैस्टर के लिए परीक्षा शुरू होने से पांच सप्ताह पूर्व उन विद्यार्थियों की सूची परीक्षा कंट्रोलर को भेजेगा जिन्होंने विनियमों की शर्तें पूरी की हैं और परीक्षा देने के योग्य है।

4. प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा समय समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम में दिए विषयों में ली जाएगी।

प्रत्यक पेपर में सेमिनार, प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा को छोड़कर 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निश्चित किए जाएगे।

सैमिनार, प्रोजैक्ट और कर्मशाला का मूल्यांकन आंतरिक तौर पर 100% आधार पर किया जायेगा। मौखिक परीक्षा आंतरिक और बाह्य परीक्षक द्वारा मिलकर ली जायेगी।

यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष कालेज का प्रिंसिपल आवधिक परीक्षणों, लिखित असाइनमेंट, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं आदि पर आधारित इन अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक सप्ताह पहले परीक्षा कंट्रोलर को भेजेगा ।

9. (क) जो परीक्षार्थी पहले और तीसरे सिमस्टर में फेल हो जाता है परन्तु जिसने उस सिमेस्टर के लिये नियत पेपरों के 50% में आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर अलग अलग तौर पर और संयुक्त रूप में कम से कम 35% अंक प्राप्त किये हैं, उसे क्रमानुसार दूसरे और चौथे सिमैस्टर में पढ़ाई जारी रखने की अनमति दी जायेगी, परन्तु उसे अगली अप्रैल मई परीक्षा में दूसरे अथवा चौथे सिमैस्टर की परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, के साथ साथ उन सब पेपरों में रिअपियर होना पड़ेगा जिनमें वह दिसंबर की परीक्षा में फेल हो गया था ।

(ख) से (घ) ... ...

(च) यदि किसी परीक्षार्थी को उस पेपर में रिअपियर होना पड़ता है जो 100% आंतरिक मूल्यांकन है, उसको नये सिरे से लैक्चरो का कोर्स करने के बिना उस पेपर को पास करने के लिये एक और अवसर देना पड़ेगा। असाइनमैंट का निर्धारण यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष कालेज के प्रिंसिपल द्वारा किया जा सकता है ।

(2) उस परीक्षार्थी के आंतरिक मूल्यांकन के अंक, जो परीक्षा में फेल हो जाता है और जो नियमित विद्यार्थी के रूप में यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल/कालेज में दाखिल नहीं होता, अगली परीक्षा में ले जाया जायेगा।

(iv) पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 320–324 पर मास्टर आफ बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिये 2.2, 4, 5, 6.1, 6.2 और 9 विनियमों का संशोधन ।

2.2 यूनिवर्सिटी बिजनिसस्कूल का अध्यक्ष प्रत्येक सिमस्टर के लिये परीक्षा शरू होने के कम से कम पांच सप्ताह पूर्व उन विधार्थियों की सूची परीक्षा-कंट्रोलर को भेजेगा जिन्होने विनियमों की शर्तें पूरी की हैं और परीक्षा देने के योग्य हैं।

4. प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा समय समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम में दिये विषयों में ली जायेगी।

प्रत्येक पेपर में सैमिनार, प्रोजक्ट और मौखिक परीक्षा को छोड़कर 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिये निश्चित किये जायेंगे ।

सैमिनार, प्रोजैक्ट और कर्मशाला का मूल्यांकन आंतरिक तौर पर 100% आधार पर किया जायेगा। मौखिक परीक्षा आंतरिक और बाह्य परीक्षकों द्वारा मिलकर ली जायेगी।

यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष आवधिक परीक्षणों, लिखित असाइनमैंट, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं आदि पर आधारित इन अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले परीक्षा-कंट्रोलर को भेजेगा।

5. यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिये जरूरत पड़ने पर रिकार्ड को परिणाम घोषित करने से छः महीने तक सुरक्षित रखेगा जिसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार किये गये हैं ।

प्रोजैक्ट रिपोर्टें यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले प्रस्तुत की जायेंगी । निश्चित तिथि के बाद रिपोर्टें स्वीकार नहीं की जायेंगी ।

6.1 पहले सिमैस्टर की परीक्षा उस नियमित विद्यार्थी के लिए खुली होगी जो–

(i) पहले सिमैस्टर की परीक्षा से एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में उपस्थित रहा हो; और

(ii) प्रत्येक पेपर के लिये 66% लैक्चरों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजैक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो ;

(10% तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है) ।

6.2 दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अथवा छठे सिमैस्टर की परीक्षाएं उस विधार्थी के लिए खुली होगी जो :–

(क) दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अथवा छठे सिमैस्टर की परीक्षा से एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो;

(ख) प्रत्येक पेपर के लिये 66% लैक्चरों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजैक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (10% तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है)।

(ग) पहले, दूसरे, तीसरे सिमैस्टर की परीक्षाओं को क्रमानुसार पास किया हो अथवा नीचे दिये रिअपियर विनियम 9 के अंतर्गत आता हो ।

9. (क) से (घ) *** *** ***

(च) यदि किसी परीक्षार्थी के लिये उस पेपर में रीअपियर होने की आवश्यकता पड़े जो 100% आंतरिक मूल्यांकन हो, उसे नये सिरे से लैक्चरों में उपस्थित रहने के बिना ही उस पेपर को पास करने के लिये एक और अवसर दिया जायेगा नियत कार्य का निर्धारण यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

(v) पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 325–26 पर मास्टर आफ बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन (तीन वर्षीय अंशकालिक कोर्स) के लिये 2.2, 4, 5, 6.1 (i) और (ii) अर्थात 6.2 (ए) विनियमों का संशोधन ।

2.2 यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष प्रत्येक सिमैस्टर के लिये परीक्षा शुरू होने तक कम से कम पांच सप्ताह पूर्व उन विद्यार्थियों की सूची परीक्षा कंट्रोलर को भेजेगा जिन्होंने विनियमों की शर्तें पूरी की हैं और परीक्षा देने के योग्य हैं ।

4. प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम में दिये विषयों में ली जायेगी ।

प्रत्येक पेपर में सैमिनार, प्रोजैक्ट और मौखिक परीक्षा को छोड़कर 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिये निश्चित किये जायेंगे ।

सैमिनार, प्रोजैक्ट और कर्मशाला का मूल्यांकन आंतरिक तौर पर 100% आधार पर किया जायेगा । मौखिक परीक्षा आंतरिक और बाह्य परीक्षकों द्वारा मिलकर ली जायगी ।

यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष आवधिक परीक्षणों, लिखित असाइनमैंट, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं आदि पर आधारित इन अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले परीक्षा कंट्रोलर को भेजेगा ।

5. यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिये जरूरत पड़ने पर रिकार्ड को परिणाम घोषित करने से छः महीने तक सुरक्षित रखेगा जिसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार किये गये हैं ।

प्रोजैक्ट रिपोर्टें यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले प्रस्तुत की जायेंगी । निश्चित तिथि के बाद रिपोर्टें स्वीकार नहीं की जायेंगी ।

6.1 पहले सिमैस्टर की परीक्षा उस विद्यार्थी के लिये खुली होगी जो–

(i) पहले सिमैस्टर की परीक्षा से एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो; और

(ii) प्रत्येक पेपर के लिये 66% लैक्चरों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजैक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (10% तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है)।

6.2 दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अथवा छठे सिमैस्टर की परीक्षायें उस विद्यार्थी के लिये खुली होंगी जो–

(क) दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे सिमैस्टर की परीक्षा से एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो;

(ख) प्रत्येक पेपर के लिये 66% लैक्चरों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट, सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजेक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (10 % की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है) ।

(ग) *** *** ***

(vi) पंजाब यूनिवर्सिटी कलेण्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 329–31 पर मास्टर आफ पर्सनल मैनेजमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन्ज के लिए 2.3, 4(घ),5, 6 (i)(ii) और 6.2(क)(ख) विनियमों का संशोधन

2.3 यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष प्रत्येक सिमैस्टर के लिये परीक्षा शुरू होने से कम से कम पांच सप्ताह पूर्व उन विद्यार्थियों की सूची दाखिला फार्मों और फीस सहित परीक्षा कंट्रोलर को भेजेगा जिन्होंने विनियमों की शर्तें पूरी की हैं और परीक्षा देने के योग्य हैं ।

4. (क), (ख) और (ग) *** *** ***

(घ) यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष आवधिक परीक्षणों, लिखित असाइनमेंट, विषय परिचर्चा, सिण्डिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं आदि पर आधारित इन अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले परीक्षा-कन्ट्रोलर को भेजेगा।

5. यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिये जरूरत पड़ने पर रिकार्ड को परिणाम घोषित करने से छः महीने तक सुरक्षित रखेगा जिसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार किये गये हैं।

6.1 पहले सिमैस्टर की परीक्षा उस नियमित विद्यार्थी के लिए खुली होगी जो—

(i) पहले सिमैस्टर की परीक्षा से एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो; और

(ii) 66% लैक्चरों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजेक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (10% तक की न्यूनता यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है)।

6.2 दूसरे, तीसरे और चौथे सिमैस्टर की परीक्षाएं उस विद्यार्थी के लिये खुली होंगी जो—

(क) दूसरे, तीसरे, और चौथे सिमस्टर की परीक्षा से एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो;

(ख) प्रत्येक पेपर में 66% लैक्चरों, सेमिनारों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट, सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजेक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (10% तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है,) और

(ग) *** *** ***

(7) पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग 11, 1988 के पृष्ठ 347 और 348 पर डिप्लोमा इन ऑफिस आर्गेनाइजेशन एण्ड प्रोसीजरज़ के लिये 8, 9 (i), (ii) और (iii) अर्थात् 10(क) विनियमों का संशोधन।

8. प्रत्येक पेपर के 40 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिये नियत किये जायेंगे। यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल/सम्बद्ध कालेज का प्रिंसिपल आवधिक परीक्षणों/लिखित नियत कार्य/मौखिक परिचर्चा आदि के आधार पर इन अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले रजिस्ट्रार को भेजेगा। जिस रिकार्ड के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार किये गये हैं, वह यदि जरूरत पड़े तो यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिये परिणाम घोषित होने से लेकर छः महीने तक सुरक्षित रखे जायेंगे। परन्तु यह नियम का रिस्पांडिस स्टडीज के विभाग पर लागू नहीं होगा।

9. परीक्षा उस विद्यार्थी के लिये खुली होगी जिसका नाम यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष/सम्बद्ध कालेज के प्रिंसिपल/कॉरिस्पांडिस स्टडीज विभाग के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया है, और जो—

(i) परीक्षा से पहले एक शैक्षिक वर्ष में यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल/सम्बद्ध कालेज/कॉरिस्पांडिस स्टडीज विभाग, जैसी भी स्थिति हो, में उपस्थित रहा हो;

(ii) *** *** ***

(iii) प्रत्येक विषय में उसकी कक्षा को दिये लैक्चरों/सैमिनारों में कम से कम 66 प्रतिशत में उपस्थित रहा हो, बशर्ते कि 10 प्रतिशत तक न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल/सम्बद्ध कालेज का प्रिंसिपल माफ कर सकता है; और

10(क) वह परीक्षार्थी जो यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल/सम्बद्ध कालेज/कॉरिस्पांडिस स्टडीज विभाग में उपस्थित रहा है और उसने लैक्चरों और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण का नियत कोई कोर्स पूर्ण कर लिया है परन्तु (i) परीक्षा नहीं दे पाया, अथवा (ii) पास नहीं हो पाया उसे यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष/सम्बद्ध कालेज के प्रिंसिपल/कॉरिस्पांडिस स्टडीज विभाग के अध्यक्ष की सिफारिश पर नये सिरे से कोर्स में उपस्थित होने के बिना ही अगले दो लगातार वर्षों में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है।

(iii) पंजाब यूनिवर्सिटी कलेण्डर, भाग 11, 1988 के पृष्ठ 334–36 पर पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्टरनेशनलट्रेड के लिये 2.3, 4(च), 5, 6.1 (i), (ii), 6.2 (ख) और 10 विनियमों का संशोधन।

2.3 यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष प्रत्येक सिमैस्टर के लिये परीक्षा शुरू होने से कम से कम पांच सप्ताह पूर्व उन विद्यार्थियों की सूची दाखिला फार्मों और फीस सहित परीक्षा-कन्ट्रोलर को भेजेगा जिन्होंने विनियमों की शर्तें पूरी की हैं और परीक्षा देने के योग्य है।

4. (क) से (घ) *** *** ***

(च) यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष आवधिक परीक्षणों, लिखित असाइनमेंट, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं आदि पर आधारित इन अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक सप्ताह पहले परीक्षा-कन्ट्रोलर को भेजेगा।

5. यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिये जरूरत पड़ने पर रिकार्ड को परिणाम घोषित करने से छः महीने बाद तक सुरक्षित रखेगा जिसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार किये गये हैं।

6.1 पहले सिमैस्टर की परीक्षा उस विद्यार्थी के लिये खुली होगी जो—

(i) पहले सिमैस्टर की परीक्षा से एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो; और

(ii) प्रत्येक पेपर के लिये 66% लैक्चरों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजेक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (प्रत्येक पेपर के कुल लैक्चरों के 10 प्रतिशत तक की न्यूनता यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है)।

6.2 दूसरे सिमैस्टर की परीक्षा उस विद्यार्थी के लिये खुली होगी जो—

(क) दूसरे सिमैस्टर की परीक्षा से एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में उपस्थित रहा हो; (

(ख) प्रत्येक पेपर के 66% लैक्चरों, सैमिनारों विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजेक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (प्रत्येक पेपर के कुल लैक्चरों की 10 प्रतिशत की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है)।

(ग) *** *** ***

10. यदि किसी परीक्षार्थी को उस पेपर में रिअपियर होना पड़े जिसमें 100% आंतरिक मूल्यांकन होता है, उसे नये सिरे से लैक्चरों में उपस्थित होने के बिना उस पेपर में पास होने के लिये एक और अवसर दिया जायेगा। इस असाइनमेंट का मूल्यांकन यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है।

(ix) पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर के पृष्ठ 339—41 और 342—44 पर फैकल्टी ऑफ बिजनिस मैनेजमेंट एण्ड कॉमर्स में डॉक्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री के लिये 1.1 (iii), 2.1 (ii), (iii) और (i), 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5, 11.1, 14 और 15 विनियमों का संशोधन।

1.1 फैकल्टी ऑफ बिजनिस मैनेजमेंट एण्ड कॉमर्स में डॉक्टर ऑफ फिलासफी का पंजीकरण उस उम्मीदवार के लिये खुला होगा जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा किसी अन्य यूनिवर्सिटी (जो विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित हो) से निम्नांकित में से किसी एक विषय में मास्टर डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंक ले के पास की हो;

(i) कॉमर्स और मैनेजमेंट

अथवा

(ii) अर्थशास्त्र अथवा गणित, स्टैटिसटिक्स, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, ओपरेशन्स, अनुसन्धान सामाजिक कार्य, इंजीनियरिंग और लाज।

अथवा

(iii) ऊपर (i) और (ii) में वर्णित विषयों के अलावा कोई अन्य विषय जशर्ते कि उम्मीदवार का प्रबन्धकीय स्तर (जिसमें प्रशासनिक सेवा भी सम्मिलित है) पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो अथवा वह पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में फैकल्टी का सदस्य हो और पोस्ट ग्रैजुएट कक्षाओं को पढ़ाने का कम से कम 5 साल का अनुभव हो।

आगे शर्त है कि ऊपर (ii) और (iii) में वर्णित उम्मीदवार पंजीकरण केवल तब ही पात्रता प्राप्त होगा यदि उसका अनुसंधान क्षेत्र फैकल्टी ऑफ बिजनिस मैनेजमेंट एण्ड कॉमर्स से संबंधित है।

2.1 डॉक्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री के पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र पर बिजनिस मैनेजमेंट एण्ड कॉमर्स के रिसर्च बोर्ड (जिसको आगे केवल रिसर्च बोर्ड ही कहा जायेगा) द्वारा विचार की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे :

(i) पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष (है जिसको आगे यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल कहा गया है) ;

(ii) यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के प्रोफेसर ;

(iii) यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का (आवर्तन अनुसार एक रीडर) ;

(iv) कुलपति द्वारा नामांकित दो सदस्य।

3.1 पी० एच० डी० की खोज के लिए स्वीकार्य व्यक्ति, खोज कार्य आरंभ करने से पहले, पंजीकरण के लिए निर्धारित फार्म पर सिंडिकेट द्वारा समय-समय पर निर्धारित फीस (जो वापस नहीं की जायेगी) सहित यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष के द्वारा रिसर्च बोर्ड को आवेदन पत्र देगा।

3.2 पंजीकरण हो जाने पर, प्रत्येक उम्मीदवार सिंडिकेट द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गयी फीस अदा करेगा। जिस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी अथवा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अथवा किसी अन्य संस्था से रिसर्च फैलोशिप प्रदान किया है अथवा वह यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल अथवा इस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कालेज में अध्यापक है, उसे यह फीस देने से माफ किया जा सकता है।

4.2 पी० एच० डी० के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अपना अनुसंधान कार्य यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में जारी रखेगा।

बशर्ते कि उसके शोध प्रबन्ध का विषय नियत कर देने और उसका पर्यवेक्षक नियुक्त कर देने के बाद रिसर्च बोर्ड उस उम्मीदवार को अपना अनुसंधान कार्य किसी

स्वीकृत केन्द्र पर करने की अनुमति दे सकता है । यदि पर्यवेक्षक उम्मीदवार की प्रगति से संतुष्ट न हो, जिसको स्वीकृत केन्द्र पर अपना अनुसंधान कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई थी, पर्यवेक्षक उम्मीदवार को अपना कार्य यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में जारी रखने के लिए कह सकता है ।

4.3 जिस उम्मीदवार ने अपना कोर्स कार्य और विस्तृत मौखिक परीक्षा पूरी कर ली है, उसे अपने अनुसंधान कार्य का कुछ भाग पूरा करने के लिए किसी अन्य देश में जाने की अनुमति दी जा सकती है । परन्तु वापिस आने पर उसको अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने की अनुमति देने से पहले कम से कम छः महीने के लिए यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में काम करना होगा ।

5. पी० एच० डी० कार्यक्रम में नियत कोर्स और शोधप्रबन्ध सम्मिलित होगा । जो उम्मीदवार ऊपर दिये 1.1(i) और (ii) विनियमों के अन्तर्गत दाखिल किये गय हैं, उनके कोर्स का कार्य दो सिमैस्टरों में फैला दिया जायेगा । अन्य उम्मीदवारों के लिए नियत कोर्स कार्य की अवधि तीन सिमैस्टर होगी ।

6. परन्तु जो पी० एच० डी० परीक्षार्थी यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल की फैकल्टी के पूर्णकालिक सदस्य हैं, वे एक या दो कोर्सों में कक्षाओं में उपस्थित होने से छूट ले सकते हैं । रिसर्च बोर्ड परीक्षार्थियों के पहले काम और अनुभव की उचित छानबीन करके ऐसी छूट प्रदान कर सकता है, परन्तु उनको इस कोर्स की अन्य शर्तों (परीक्षण, परीक्षा आदि) की पालना करनी होगी और अपने विशेषीकरण के क्षेत्र में विस्तृत मौखिक परीक्षा देनी होगी ।

11.1 पंजीकरण की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद परीक्षार्थी पी० एच० डी० डिग्री के लिये अपने आवेदनपत्र के साथ शोधप्रबन्ध की चार प्रतियां, अपने नाम से साफ-साफ मुद्रित अथवा टाइप किया हुआ अथवा प्रकाशित शोधप्रबन्ध का सारांश प्रस्तुत करेगा । इसके साथ यूनिवर्सिटी द्वारा समय-समय पर नियत फीस और अपने पर्यवेक्षक से प्रमाण-पत्र (जैसा कि सिंडीकेट द्वारा नियत किया गया हो) और इस मतलब से यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कि परीक्षार्थी ने अपना अनुसंधान कार्य संपूर्ण कर लिया है और उसने यह कार्य इतने समय में संपूर्ण किया है और यह शोधप्रबन्ध पी० एच० डी० की डिग्री प्रदान किये जाने के योग्य है ।

14. प्रत्येक परीक्षार्थी यह वचन देगा कि वह अपना शोधप्रबन्ध सिंडिकेट की पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं करेगा । यदि यह अनुमति दे दी जाती है, तो परीक्षार्थी प्रकाशन में यह स्वीकार करेगा कि प्रकाशित किया गया शोधप्रबन्ध पी० एच० डी० डिग्री के लिये आंशिक अथवा समूचे रूप में यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत किया गया था और वह प्रकाशित शोधप्रबन्ध की तीन प्रतियां परीक्षा-कंट्रोलर को भी प्रस्तुत करेगा जिसमें से एक प्रति यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल में और दो प्रतियां यूनिवर्सिटी लायब्रेरी में रखी जायेंगी । परीक्षार्थी अपने प्रकाशन की समीक्षा की प्रतियां भी यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत करेगा, जो पुस्तक के साथ सिंडिकेट के नोटिस में लाई जायेंगी ।

16. शोधप्रबन्ध पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सिंडिकेट द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मौखिक परीक्षा होगी । परीक्षक अपनी रिपोर्टों के साथ प्रश्न-सूची भी भेजेंगे जिसका प्रयोग मौखिक परीक्षा ले रहा परीक्षक-मंडल करेगा । इस बोर्ड में ये सदस्य सम्मिलित होंगे : (क) यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष; (ख) पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक (संयुक्त पर्यवेक्षक की हालत में) और (ग) कुलपति/सिंडिकेट द्वारा नियुक्त एक बाह्य परीक्षक ।

(क) पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग , 1988 में मास्टर इन इंटरनैशनल बिजनिस के लिये 2.2, 4, 5, 6.1, 6.2(क) और (ग) और 9(च) विनियमों का संशोधन

2.2 यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष प्रत्येक सिमैस्टर के लिये परीक्षा शुरू होने से कम से कम पांच सप्ताह पूर्व उन विद्यार्थियों की सूची परीक्षा-कंट्रोलर को भेजेगा जिन्होंने विनियमों की शर्तें पूरी की हैं और परीक्षा देने के योग्य हैं ।

4. प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम में दिये विषयों में ली जायेगी ।

प्रत्येक पेपर में सेमिनार, प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा को छोड़कर 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिये निश्चित किये जायेंगे ।

सेमिनार, प्रोजेक्ट और कर्मशाला का मूल्यांकन आंतरिक तौर पर 100% आधार पर किया जायेगा । मौखिक परीक्षा आंतरिक और बाह्य परीक्षकों द्वारा मिलकर ली जायेगी ।

यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष आवधिक परीक्षणों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं आदि पर आधारित इन अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले परीक्षा-कंट्रोलर को भेजेगा ।

5. यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल का अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिये जरूरत पड़ने पर रिकार्ड को परिणाम घोषित करने से छः महीने तक सुरक्षित रखेगा जिसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक तैयार किये गये हैं ।

प्रोजेक्ट रिपोर्टें यूनिवर्सिटी बिजनिस स्कूल के अध्यक्ष को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले प्रस्तुत की जायेंगी । निश्चित तिथि के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जायेंगी ।

6.1 पहले सिमैस्टर की परीक्षा उस विद्यार्थी के लिये खुली होगी जो—

(i) पहले सिमैस्टर की परीक्षा के एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिज़निस स्कूल में उपस्थित रहा हो; और

(ii) प्रत्येक पेपर के 66% लैक्चरों, सैमीनारों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजैक्ट के काम आदि में उपस्थित रहा हो; (10% तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिज़निस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है।

6.2 दूसरे, तीसरे और चौथे सिमैस्टर की परीक्षाएं उस नियमित विद्यार्थी के लिये खुली होंगी जो—

(क) दूसरे, तीसरे अथवा चौथे सिमस्टर की परीक्षाओं, जैसी भी स्थिति हो, के एक सिमैस्टर पहले यूनिवर्सिटी बिज़निस स्कूल में उपस्थित रहा हो;

(ख) प्रत्येक पेपर के लिये 66% लैक्चरों, सैमिनारों, विषय परिचर्चा, सिंडिकेट सैशनों, क्षेत्रीय यात्राओं, प्रोजैक्ट के काम में उपस्थित रहा हो;

(10% तक की न्यूनता को यूनिवर्सिटी बिज़निस स्कूल का अध्यक्ष माफ कर सकता है; और

(ग) *** *** *** ***

9. (क) से (घ) *** *** ***

(च) यदि किसी परीक्षार्थी को उस पेपर में रिअपियर होना पड़े जिसमें 100% आंतरिक मूल्यांकन होता है, उसे नये सिरे से लैक्चरों में उपस्थित होने के बिना उस पेपर में पास होने के लिये एक और अवसर दिया जायेगा। काम के इस नियत कार्य का मूल्यांकन यूनिवर्सिटी बिज़निस स्कूल के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है।

19. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, भाग–, 1988 के पृष्ठ 381 पर बैचुलर आफ इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिये विनियम 3 का संशोधन :

3. किसी शाखा में पहले सिमैस्टर कोर्स में दाखिला उस परीक्षार्थी के लिये खुला रहेगा—

(क) जिसने अंग्रेजी, फिज़िक्स, कैमिस्ट्री और गणित विषयों के साथ 10+2 साईंस स्ट्रीम परीक्षा पास की है अथवा मान्यताप्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी/कौंसिल द्वारा ली गयी इसके समान कोई परीक्षा पास की है;

(ख) जिसने कोर्स में दाखिले के लिये राज्य/यूनिवर्सिटी द्वारा मनोनीत समर्थ प्राधिकारी द्वारा लिया प्रवेश परीक्षण पास कर लिया है और परीक्षण के लिये नियमों में निर्धारित न्यूनतम पास प्रतिशतता प्राप्त कर ली है। परीक्षार्थियों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सभी अन्य आरक्षित प्रवर्गों के लिये न्यूनतम पास प्रतिशतता सामान्य प्रवर्ग की न्यूनतम प्रतिशतता का 2/3 होगी।

(ग) प्रवेश परीक्षण में योग्यता श्रेणीकरण ही केवल दाखिले के लिये आधार होगा।

20. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर भाग II, 1988 के पृष्ठ 393–94 पर मास्टर आफ इंजीनियरिंग परीक्षा के लिये विनियम 3.1 का संशोधन :

3.1 नीचे दी गयी योग्यताओं रखने वाला व्यक्ति मास्टर आफ इंजीनियरिंग की डिग्री के लिये कोर्स में दाखिले के योग्य होगा :

(i) से ( ) *** ***

(vi) इंडस्ट्रियल मैटिरियलज़ एण्ड मैटालर्जी में एम० ई० में दाखिले के लिये पंजाब यूनिवर्सिटी से मैटालर्जिकल इंजीनियरिंग अथवा मकैनिकल इंजीनियरिंग अथवा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में प्राप्त कुल अंकों में से कम से कम 50% अंकों से बी० ई० डिग्री अथवा पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी से इनमें से किसी एक अथवा मैटिरियल साईंसिज़ में इसके समान डिग्री।

(vii) इलैक्ट्रानिक्स प्रोडक्ट डिज़ाइन एण्ड टैक्नालोजी में एम० ई० में दाखिले के लिये पंजाब यूनिवर्सिटी से इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल कम्यूनिकेशन/इलैक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग में प्राप्त कुल अंकों में से 50% अंकों से बी० ई० डिग्री अथवा पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यताप्राप्त इन विषयों में से किसी एक में इसके समान डिग्री।

21. शास्त्री परीक्षा (तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स) (नयी स्कीम) के लिये अस्थायी विनियमों की मंजूरी (1995-96 सैशन से लागू) :

1. जिस विद्यार्थी ने शास्त्री (दो वर्षीय कोर्स) परीक्षा पास की है, उसे एम० ए० (संस्कृत) कोर्स में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि उसने शास्त्री (नयी स्कीम) का अनिवार्य अंग्रेजी विषय पास किया हो अर्थात् शास्त्री भाग I, II और III को एक साथ अथवा एक एक करके। यह छूट पांच साल के लिये अर्थात् 1999 की परीक्षाओं तक लागू रहेगी।

2. जिस विद्यार्थी ने पुरानी शास्त्री की परीक्षा पास नहीं की अथवा पुरानी शास्त्री स्कीम के भाग II की परीक्षा नहीं दे पाया, उसे अप्रैल 1999 तक शास्त्री भाग II (पुरानी स्कीम) में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है।

22. शास्त्री परीक्षा (तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स) (नयी स्कीम) के लिये अस्थायी विनियमों की मंजूरी (1995-96 सैशन से लागू) ।

"जिस परीक्षार्थी ने इस यूनिवर्सिटी से शास्त्री (पुरानी स्कीम) परीक्षा पास की है, वह इन विषयों को छोड़कर जिनमें उसने पहले ही परीक्षा पास की है, वह परीक्षा के लिये निर्धारित विषयों में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में किसी अनुवर्ती शास्त्री (टी० डी० सी०) परीक्षा में बैठ सकता है ।

ऊपर दिये गये आधार पर अनुमति मांग रहे परीक्षार्थी को केवल तभी अनुमति दी जायेगी यदि वह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अथवा चंडीगढ़ के संघ राज्य-क्षेत्र का रहने वाला हो ।"

23. निम्नांकित का संशोधन/विलोपन :—

(i) पृष्ठ 474-76 पर डिप्लोमा इन मैडिकल रेडियोलोजी डायगनोसिस (डी एम आर डी) के लिये विनियम 1 और 4।

(ii) पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग II, 1988 पर डिप्लोमा इन मैडिकल थैरपि (डी एम आर टी) के लिये विनियम 1 और 4.

(i) डिप्लोमा इन मैडिकल रेडियोलोजी डायगनोसिस (डी एम आर डी) (1991 के दाखिले से लागू)

1. डिप्लोमा इन मैडिकल रेडियालोजी डायगनोसिस की परीक्षा के दो भाग होंगे अर्थात् भाग I और II।

दोनों भागों में परीक्षा साल में दो बार सिंडिकेट द्वारा मंजूर किये स्थान अथवा स्थानों पर होगी। जिस परीक्षार्थी ने दिसम्बर से पहले एम० बी० बी० एस० की डिग्री प्राप्त कर ली है, वह हाऊस जॉब किए बिना जनवरी से इस कोर्स में दाखिल हो सकता है; और इसी तरह जिस परीक्षार्थी ने जुलाई से पहले एम० बी० बी० एस० की डिग्री प्राप्त कर ली है, वह हाऊस जॉब किये बिना जुलाई से इस कोर्स में दाखिल हो सकता है । यह परीक्षा भाग I और भाग II के लिये साल में दो बार होगी । भाग I की परीक्षा एक साल पूरा कर लेने के बाद (प्रत्येक साल जनवरी और जून में) होगी और भाग II की परीक्षा दो साला कोर्स पूरा कर लेने के बाद (दिसंबर और मई में) होगी । अनुपूरक परीक्षा वार्षिक परीक्षा के 6 महीने के बाद होगी ।

4. भाग I की परीक्षा उस व्यक्ति के लिये खुली होगी—

(i) जिसने इस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है अथवा मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी से इसके समान डिग्री प्राप्त की है ।

(ii) जो डिप्लोमा इन मैडिकल रेडियोलोजी (डायगनोसिस) कोर्स के लिये इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध मडिकल कालेज में दो साल के लिये उपस्थित रहा हो ।

(iii) जिसने मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यताप्राप्त मैडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल में डिप्लोमा कोर्स में दाखिल होने से पहले हाऊस सर्जन के रूप में एक साल तक काम किया हो । (इसमें से छः महीने रेडियोलोजी विभाग में बिताये होने चाहिये) ।

एन० बी० :—निम्नांकित को एक साल की हाऊस जॉब के समान माना गया है —

(क) परीक्षार्थी द्वारा पोस्ट-ग्रेजुएट विद्यार्थी के तौर पर रेडियोलोजी विभाग में एक साल का पूर्णकालिक अतिरिक्त कार्य ।

(ख) एक साल के लिये रेडियालोजी विभाग में रजिस्ट्रार/असिस्टेंट रजिस्ट्रार ।

(ग) कौंसिल द्वारा मंजूरशुदा हस्पताल में परीक्षार्थी द्वारा तीन साल की इंटर्नशिप के लिये किया काम ।

(घ) राज्य मैडिकल सेवा अथवा आर्मड-फोर्सिज अथवा अन्य समान सेवा में पहले ही सेवा कर रहे व्यक्तियों द्वारा पाँच साल के लिये किया काम ।

} विलोपित

बशर्ते कि परीक्षार्थी द्वारा पोस्ट-ग्रेजुएट-विद्यार्थी/रजिस्ट्रार के रूप में विभाग में छः महीने के लिये पूर्ण-कालिक अतिरिक्त काम रेडियोलोजी में छः महीने की हाऊस-मेनशिप के समान होगा ।

(iii) अपना नाम इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध मैडिकल कालेज के प्रिंसिपल द्वारा डी० एम० डी० आर० (डायगनोस्टिक) कोर्स के लिये भिजवाया है, जो इस कोर्स में उपस्थित रहा है और ऊपर (i) और (ii) की शर्तों के संबंध में प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित किया गया है; और

(क) मैडिकल रेडियोलोजी के लिये अनुपयुक्त फिजिक्स में प्रशिक्षण के अंशकालिक कोर्स में तीन महीने के लिये उपस्थित होने का ।

(ख) रेडियोलोजी विभाग के अध्यक्ष की संतुष्टि होने पर डी० एम० आर० डी० कोर्स के लिये इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध मैडिकल कालेज से संलग्न अध्यापन हस्पताल के रेडियोलोजी विभाग में उपस्थित रहने का ।

(ग) सदाचरण और व्यावसायिक आचरण का ।

(ii) डिप्लोमा इन मैडिकल रेडियोलोजी थैरपि (डी० एम० आर० टी०) (1991 के दाखिले से लागू)

1. डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियालोजी (थेरपि) डी० एम० आर० टी० की परीक्षा के दो भाग होंगे अर्थात भाग i और भाग ii ।

दोनों भागों की परीक्षा साल में दो बार सिंडिकेट द्वारा मंजूरशुदा स्थान अथवा स्थानों पर होंगी। जिस परीक्षार्थी ने दिसंबर से पहले एम० बी० बी० एस० की डिग्री प्राप्त कर ली है, वह हाऊस जॉब किये बिना जनवरी से इस कोर्स में दाखिल हो सकता है और इसी तरह जिस परीक्षार्थी ने जुलाई से पहले एम० बी० बी० एस० की डिग्री प्राप्त की है, वह हाऊस जॉब किये बिना जुलाई से इस कोर्स में दाखिल हो सकता है। भाग i और भाग ii की परीक्षा साल में दो बार होगी। भाग i की परीक्षा एक साल के बाद (प्रति वर्ष जनवरी और जून में) होगी और भाग ii की परीक्षा कोर्स के दो साल पूरे कर लेने के बाद (दिससंबर और मई में) होगी। अनुपूरक परीक्षा वार्षिक परीक्षा के 6 महीने बाद होगी।

4. भाग I की परीक्षा उस व्यक्ति के लिये खुली होगी जिसने —

(i) इस यूनिवर्सिटी से एम० बी० बी० एस० की डिग्री प्राप्त की है अथवा मैडिकल कौंसिल आफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी से इसके समान डिग्री प्राप्त की है।

(ii) इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध किसी मैडिकल कालेज में डिप्लोमा इन मैडिकल रेडियोलोजी (डायगनोसिस) कोर्स के लिये दो साल उपस्थित रहा हो।

(iii) मैडिकल कौंसिल आफ इंडिया द्वारा मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल में डिप्लोमा कोर्स में दाखिल होने से पहले हाउस सरजन के रूप में एक साल तक काम किया हो।
इसमें से छ: रेडियोलोजी विभाग में बिताये होने चाहिए)।

एन० बी० :— निम्नांकित को एक साल की हाउस जॉब के समान माना गया है।

(क) परीक्षार्थी द्वारा पोस्ट ग्रैजुएट विद्यार्थी के तौर पर रेडियालोजी विभाग में एक साल का पूर्णकालिक अतिरिक्त कार्य।

(ख) एक साल के लिये रेडियालोजी विभाग में रजिस्ट्रार/असिस्टेंट रजिस्ट्रार।

(ग) कौंसिल द्वारा मंजूरशुदा हस्पताल में परीक्षार्थी द्वारा तीन साल की इंटर्नशिप के लिए किया काम।

(घ) राज्य मैडिकल सेवा अथवा आर्मड फोर्सिज अथवा अन्य सामान सेवा में पहले ही सेवा कर रहे व्यक्तियों द्वारा पांच साल के लिए किया काम।

(iii) अपना नाम इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध मैडिकल कालेज के प्रिंसिपल द्वारा डी० एम० आर० टी० (थैरिपी) कोर्स के लिये भिजवाया है जो इस कोर्स में उपस्थित रहा है और ऊपर (i) और (ii) की शर्तों के संबंध में प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित किया गया ; और

(क) से (ग) xxx　　xxx

24. निम्नांकित विनियमों का संशोधन :

(i) 505–507 पृष्ठ पर बैचुलर आफ फार्मेसी परीक्षा के लिए 4.1, 4.2 और 6.3

(ii) मास्टर आफ फार्मेसी परीक्षा (परिशोधित विनियम) के लिए 4.4, 5.2 और 5.4

(iii) पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर भाग II 1988 के पृष्ठ 413–518 पर फैकल्टी आफ फार्मेस्यूटिकल साईंसिज में डाक्टर आफ फिलासफी के लिये 2.3, 4.2 और 7.2 और इनको 1 जनवरी 1995 से लागू किया जाये।

(iv) पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 506-507 पर बैचुलर आफ फार्मेसी के लिए 4.1, 4.2 और 6.3 विनियमों का संशोधन

4.1 वह विद्यार्थी जिसकी 3.1/3.2/3.3/3.4 विनियमों में निर्धारित योग्यताएं हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट आफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज इस परीक्षा के लिए संबद्ध कालेज में उपस्थित रहा हो और यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट/कालेज के प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, वह पहली/दूसरी/तीसरी अंतिम परीक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, बैठने के योग्य होगा :—

(क) सदाचरण का,

(ख) प्रत्येक कोर्स में लैक्चरों और प्रैक्टिकलों के पूरे कोर्स में कम से कम 75 प्रतिशत में उपस्थित रहने का।

4.2 लैक्चरों में 10 प्रतिशत तक और प्रैक्टिकलों में 5 प्रतिशत तक, जैसी भी स्थिति हो, की न्यूनता को यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट का अध्यक्ष/कालेज का प्रिंसिपल माफ कर सकता है

6.3 पहली/दूसरी/तीसरी/अंतिम परीक्षाओं के प्रत्येक पेपर में 10 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए [illegible] होंगे, जो लिखित और प्रैक्टिकल के लिये अलग [illegible] होंगे। दिये गये अंकों को यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट का [illegible] का [illegible], जैसी भी हालत हो, द्वारा प्रमाणित किया जायेगा और [illegible] / रजिस्ट्रार को

परीक्षा जैसी भी स्थिति हो, संबंधित पेपर के लिए आरक्षित, अंकों में जोड़ दिये जायेंगे ।

(ii) मास्टर आफ फार्मेसी परीक्षा (नये विनियम) के लिए 4.4, 5.2, 5.4 विनियमों का संशोधन

4.4 वह विद्यार्थी जिसकी विनियम 2 में दी गयी योग्यताएं हैं, जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज में उपस्थित रहा है और यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, वह एम० फार्म० सिमैस्टर I और सिमैस्टर II की परीक्षा में बैठने के योग्य होगा :—

(क) xxx xxx xxx

(ख) xxx xxx xxx

5.2 एम० फार्म० के तीसरे सिमैस्टर की परीक्षा में शोधप्रबन्ध और यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट के अध्यक्ष द्वारा निश्चित तिथि पर सेमिनार में इसका प्रस्तुतीकरण सम्मिलित होंगे । नाट्य परीक्षक, अध्यापन स्टाफ के सदस्य और यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट के खोज विद्यार्थी इस शोध प्रबन्ध पर परिचर्चा में सम्मिलित होंगे ।

5.4 तीसरे सिमैस्टर की परीक्षा के लिये शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिसमें बाह्य परीक्षक, परीक्षार्थी का खोज पर्यवेक्षक और यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट का अध्यक्ष सम्मिलित होंगे । यह मूल्यांकन शोधप्रबन्ध के विषय वस्तु इसके प्रस्तुतीकरण और इस पर हुई परिचर्चा आधार पर किया जायेगा ।

(iii) पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग II 1988 के पृष्ठ 513–518 पर फैकल्टी ऑफ फार्मेस्यूटिकल साईंसिज में डाक्टर ऑफ फिलासफी के लिए 2.3, 4.2 और 7.2 विनियमों का संशोधन ।

2.3 परीक्षार्थी अपनी खोज यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट ऑफ फार्मेस्यूटिकल साईंसिज में अथवा फैकल्टी द्वारा इस काम के लिये मंजूरशुदा केन्द्र पर करेगा ।

4.2 एक साल का खोज कार्य पूरा कर लेने के बाद, अध्यक्ष उसे अपना खोज कार्य किसी अन्य मंजूरशुदा केन्द्र पर जारी रखने की अनुमति दे सकता है यदि :—

(क) आगे काम करने की सुविधाएं यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट में नहीं हैं ।

xxx xxx xxx

7.2 यदि परीक्षार्थी का पर्यवेक्षक, जो किसी अन्य यूनिवर्सिटी का पी०-एच० डी० डिग्री के खोज कार्य का निर्देशन कर रहा हो, यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट के स्टाफ में काम कर रहा है, वो परीक्षार्थी को इन विनियमों की पूर्ति करने पर, उसी पर्यवेक्षक के अधीन इस यूनिवर्सिटी की पी०-एच० डी० की डिग्री के लिए अपना पंजीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है । ऐसा परीक्षार्थी इस यूनिवर्सिटी में अपने पंजीकरण के एक साल से पहले अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत नहीं करेगा ।

25. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर भाग II 1988 के पृष्ठ 531 पर बैचलर आफ फाइन आर्टस परीक्षा (बी० एफ०ए०) के लिए विनियम 2.6 का संशोधन ।

2.6 जिस परीक्षार्थी ने प्रत्येक विषय के प्रैक्टिकल पेपर में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं और थिअरी पेपरों में कम से कम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं उसे उसी साल की अनुपूरक परीक्षा अथवा अगली कक्षा की उस के वार्षिक परीक्षा के साथ साथ परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है । ऐसे परीक्षार्थी को यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रत्येक विषय की परीक्षा फीस अनुपूरक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए देनी होगी । यदि वह संबंधित थिअरी पेपर/पेपरों में अनुपूरक परीक्षा में अथवा वार्षिक परीक्षा (अगली कक्षा की) में पास नहीं हो पाता, तो उसे निचली कक्षा में वापस जाना पड़ेगा । परन्तु यदि कोई परीक्षार्थी प्रैक्टिकल के किसी भी पेपर में पास अंक प्राप्त नहीं करता, उसे परीक्षा में फेल घोषित किया जायेगा और उसे अगले साल में परीक्षा देने के योग्य होने के लिए एक शैक्षिक वर्ष के लिये नये सिरे से अध्ययन के कोर्स में दाखिल होना पड़ेगा, यदि वह अन्यथा योग्य है ।

ह०

एस० के० शर्मा

चण्डीगढ़–160014 डिप्टी रजिस्ट्रार (जनरल)

दिनांक : 9 सितम्बर 1998

आज नौ सितम्बर 1998 को पंजाब यूनिवर्सिटी की सामान्य मोहर से मुहरबंद ।

ह०

परमजीत सिंह

रजिस्ट्रार

पंजाब यूनिवर्सिटी

अधिसूचना अंक 2–98/जी० आर०

केन्द्रीय सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ० 3.2/95 यू० आई०/डेस्क दिनांकित 27–3–1998 के द्वारा निम्नांकित विनियमों को मंजूरी दे दी है :—

1. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर जिल्द II, 1995 के पृष्ठ 55 पर बी०/ए० बी० एस० सी० (जनरल और आनर्स) के लिए विनियम 26 का संशोधन और इसे सीनेट/केन्द्रीय सरकार की मंजूरी/भारत के गजट में प्रकाशन से पूर्व वर्ष 1996 से लागू किया जाये :—

26. जिस परीक्षार्थी ने बी० ए० अथवा बी० एस० सी० की परीक्षा इस यूनिवर्सिटी से पास की है, वह बी० ए० अथवा बी० एस० सी० की किसी परवर्ती वार्षिक परीक्षा में उन विषयों को छोड़कर जिनमें उसने यह परीक्षा पहले ही पास कर ली है, इस परीक्षा के लिए निर्धारित किये गये किसी एक अथवा अधिक विषयों में परीक्षा दे सकता है।

जो परीक्षार्थी ऊपर 2 के आधार पर अनुमति मांग रहा है उसे केवल तब ही अनुमति दी जा सकती है यदि वह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अथवा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में रहता है ।

2. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर जिल्द II, 1995 के पृष्ठ 55 पर बी० ए०/बी० एस-सी० (जनरल और आनर्ज) के लिए विनियम 31 का संशोधन और इसे सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी/भारत के गजट के प्रकाशन से पूर्व वर्ष 1996 से लागू किया जाये :—

31. जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बी०ए०/बी० एस-सी० (जनरल) अथवा बी०ए०/बी० एस-सी० (आनर्ज) की डिग्री प्रदान करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, उसे अपना पूर्व निष्पादन बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्राइवेट परीक्षार्थी की हैसियत में उन विषयों में से किसी एक विषय (विषयों) में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है जो उसने पहले पास कर लिये हैं । वह पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाओं अथवा किसी एक परीक्षा में साथ-साथ अथवा अलग-अलग तौर पर बैठ सकता है ।

इस उद्देश्य के लिए उसको बी० ए०/बी० एस-सी० (जनरल) अथवा बी० ए०/बी० एस-सी० (आनर्ज) परीक्षा पास कर लेने से दो वर्ष की अवधि में दो अवसर दिये जा सकते हैं । वह इन दो अवसरों का लाभ अगली दो वार्षिक परीक्षाओं के साथ-साथ उठा सकता है ।

3. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर जिल्द II, 1995 के पृष्ठ 82 पर मास्टर आफ आर्टस परीक्षा के लिए विनियम 3.2 का संशोधन और इसे सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी/भारत के गजट में प्रकाशन से पूर्व वर्ष 1996 से लागू किया जाये :

3.2 जिस व्यक्ति ने निम्नांकित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह एम० ए० कोर्स की दूसरे वर्ष (भाग II) की कक्षा में दाखिला लेने के योग्य होगा :

(क) पंजाब यूनिवर्सिटी से उस विषय में एम० ए० भाग I की परीक्षा;

(ख) कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (कुरुक्षेत्र) अथवा महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (रोहतक) अथवा पंजाबी यूनिवर्सिटी (पटियाला) अथवा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (शिमला) से उस विषय में एम०ए० भाग I की परीक्षा और गांधियन एण्ड पीस स्टडीज विषय में एम० ए० भाग I की परीक्षा भारत की किसी यूनिवर्सिटी से की हो और जिसकी परीक्षा को अनुरूप परीक्षा के तुल्य मान्यता प्राप्त हो, परन्तु शर्त यह है कि उसने वही पेपर लिये हों जो इस यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं । उसकी हालत में इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी की एम० ए० भाग I में प्राप्त अंकों को पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा भाग I के लिये निर्धारित अधिकतम अंकों के अनुसार प्राप्त अंकों को घटा कर अथवा बढ़ाकर भाग II की परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों की डिवीजन में मिलाया जायेगा ।

विषयों/पेपरों में कोई न्यूनता होने की हालत में उसे न्यून विषयों/पेपरों को इस यूनिवर्सिटी की अगली लगातार वार्षिक परीक्षाओं में पास करना होगा । यदि वह न्यून विषयों/पेपरों को पास नहीं कर पाता, तो उसका एम० ए० भाग II की परीक्षा का परिणाम रद्द समझा जायेगा ।

4. पंजाब यूनिवर्सिटी कलेण्डर, जिल्द II, 1988 के पृष्ठ 116 पर (अब 1995 संस्करण, पृष्ठ 87 पर) मास्टर आफ आर्टस परीक्षा के लिये विनियम 13.2 का संशोधन और इसको सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी/भारत के गजट में प्रकाशन से पूर्व 1996 वर्ष से लागू किया जाये :

13.1 जिस परीक्षार्थी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एम० ए० डिग्री की है, उसको प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उस पेपर/पेपरों में पुनः बैठने की अनुमति दी जा सकती है जिनमें वह अपने पूर्व निष्पादन में सुधार लाना चाहता है । इस उद्देश्य के लिये उसको एम० ए० परीक्षा पास करने की तिथि से लेकर पांच वर्ष में दो अवसर दिये जा सकते हैं । परन्तु शोध-निबन्ध/शोध-प्रबन्ध, मौखिक परीक्षा और प्रैक्टिकलों में सुधार की अनुमति नहीं दी जायेगी । परीक्षार्थी से प्रत्येक पेपर के लिए 25/- रुपये अथवा संबंधित परीक्षा के लिये निर्धारित अधिकतम दाखिला फीस, इनमें से जो भी कम हो, वसूल की जायेगी ।

13.2 इस विनियम के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को एम० ए० परीक्षा में रिअपियर की अनुमति दी जायेगी, वह वार्षिक भाग I और II में साथ-साथ अथवा भाग I या भाग II में, अथवा दोनों भागों में अलग-अलग तौर पर रिअपियर हो सकता है, परन्तु यदि वह दोनों भागों में रिअपियर होना चाहता है, तो उसे परीक्षा पास करने से लेकर पांच वर्ष में यह परीक्षा सम्पूर्ण करनी होगी ।

5. पंजाब यूनिवर्सिटी कलेण्डर, भाग II, 1995 के पृष्ठ 279–89 पर बी० कॉम (जनरल और आनर्ज) परीक्षा के लिये विनियम 17 का संशोधन और इसे सीनेट/ भारत सरकार की मंजूरी/भारत के गजट में प्रकाशन से पूर्व वर्ष 1996 से लागू किया जाये :—

17. जो व्यक्ति पंजाब यूनिवर्सिटी से बी० कॉम (जनरल) अथवा बी० कॉम (आनर्ज) की डिग्री प्रदान करने के लिये योग्यताप्राप्त है, उसे अपने पहले निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये उस विषय /विषयों में जिनमें उसने पहले परीक्षा दी है, प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर रिअपियर होने की अनुमति

दी जा सकती है। वह पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षा अथवा किसी भी परीक्षा (परीक्षाओं) में एक साथ अथवा अलग अलग तौर पर रिअपियर हो सकेगा है।

इस उद्देश्य के लिये, उसे बी० काम (जनरल) अथवा बी० काम (आनर्स) परीक्षा पास करने में दो वर्ष की अवधि में दो अवसर दिये जा सकते हैं। वह इन दो अवसरों का आगामी दो वार्षिक परीक्षाओं के साथ साथ लाभ उठा सकता है।

6. एम० एस० सी० (आनर्स स्कूल) परीक्षा (वार्षिक सिस्टम) के लिये विनियम 2.1 का संशोधन :

2.1 जिस व्यक्ति ने संबंधित विषय में निम्नांकित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास कर ली है, उसे एम० एस० सी० (आनर्स स्कूल) कोर्स में दाखिल किया जा सकता है :

(i) एम० एस० सी० (आनर्स स्कूल) कोर्स के विषय में पंजाब यूनिवर्सिटी की बी० एस-सी० (आनर्स स्कूल) की परीक्षा।

(ii) आनर्स स्कूल कोर्स के विषय में पंजाब यूनिवर्सिटी की० बी० एस० सी० (पास अथवा आनर्स) की परीक्षा अथवा पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा आनर्स स्कूल के विषय के तुल्य मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा।

(iii) पंजाब यूनिवर्सिटी से बी० ए० अथवा बी० एस० सी० की परीक्षा अथवा एम० एस-सी० (आनर्स स्कूल) इन एन्थ्रोपालोजी में दाखिले के लिये पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा इसके तुल्य कोई अन्य परीक्षा।

(iv) पंजाब यूनिवर्सिटी की बी० एस० सी० (पास और आनर्स) अथवा फिजिक्स में एम० एस-सी० (आनर्स स्कूल) में दाखिले के लिये बी० एस० सी० स्तर पर वैकल्पिक विषयों के रूप में फिजिक्स और मैथेमेटिक्स और कैमिस्ट्री में एम० एस० सी० (आनर्स स्कूल) में दाखिले के लिये बी० एस० सी स्तर पर वैकल्पिक विषयों के रूप में कैमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथेमेटिक्स के तुल्य मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा।

परन्तु शर्त यह है कि ऊपर (ii), (iii) और (iv) में मान्यताप्राप्त विद्यार्थियों का दाखिला इस उद्देश्य के लिये दाखिला परीक्षा में उनकी योग्यता सिंडिकेट द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य शर्तों की पूर्ति पर निर्भर होगा।

7. वर्तमान विनियमों में जहां कहीं भी निर्धारित किये गये हैं, वार्षिक, अनुपूरक, निष्पादन के सुधार, अतिरिक्त विषयों, आंशिक पुनः परीक्षा और रिअपियर परीक्षा के लिए दाखिला परीक्षा फीस लेने के लिए विभिन्न फैकल्टियों के अन्तर्गत विनियमों का प्रतिस्थापन इस तरह किया जाये "विभिन्न कोर्सों के लिए दाखिला/परीक्षा फीस सिंडिकेट द्वारा निर्धारित दिये गये अनुसार ली जाये, जो दो वर्ष से पहले निर्धारित नहीं की जायेगी"।

8. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, जिल्द II, 1995 के क्रमानुसार पृष्ठ 50-51 और 277-78 पर बी० ए०/बी० एस० सी० (जनरल और आनर्स) परीक्षाओं के लिए विनियम 10 और बी० काम० (जनरल और आनर्ज) परीक्षाओं के लिए विनियम 5 का संशोधन और इसे सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी/भारत के गजट में प्रकाशन से पूर्व 1996 की परीक्षा से लागू किया जाये।

10. पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिये परीक्षाएं सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर यूनिवर्सिटी द्वारा वार्षिक रूप में होंगी।

कम्पार्टमेंट वाले परीक्षार्थियों के लिए सिंडीकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर अनुपूरक परीक्षा होगी।

बी० काम० (जनरल और आनर्ज)

5. पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए परीक्षाएं सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर यूनिवर्सिटी द्वारा वार्षिक रूप में होंगी।

कम्पार्टमेंट वाले परीक्षार्थियों के लिए अनुपूरक परीक्षा सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होंगी।

9. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, जिल्द II, 1995 के पृष्ठ 181 पर ओरियन्टल क्लासिकी भाषाओं में डिप्लोमा और साहित्यिक पद्धतियों के लिये विनियम 1.3 का संशोधन और इसे सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी/भारत के गजट में प्रकाशन से पूर्व 1996 की परीक्षा से लागू किया जाये :

1.3 ये परीक्षायें सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर यूनिवर्सिटी द्वारा वार्षिक रूप में होंगी।

10. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, जिल्द II, 1995 के पृष्ठ 185 पर प्राक शास्त्री और शास्त्री (तीन वर्षीय कोर्स) के लिये विनियम 1.3 का संशोधन और इसे सीनेट (भारत सरकार की मंजूरी/भारत के गजट में प्रकाशन से पूर्व 1996 की परीक्षा से लागू किया जाये :

1.3 प्राक शास्त्री भाग I और II अर्थात् शास्त्री भाग I, II, और III की परीक्षायें (यूनिवर्सिटी द्वारा सिण्डिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर वार्षिक रूप में होंगी।

कम्पाटमेंट वाले परीक्षार्थियों के लिये, अनुपूरक परीक्षा सिण्डिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होंगी।

एस० के० शर्मा
डिप्टी रजिस्ट्रार (जनरल)

चण्डीगढ़-160014
दिनांकित 9-9-1998

पंजाब यूनिवर्सिटी की सामान्य मुहर से मेरी उपस्थिति में आज 9-9-1998 को मुहरबन्द।

परमजीत सिंह,
रजिस्ट्रार

पंजाब यूनिवर्सिटी

अधिसूचना संख्या 3-98/जी० आर०

केन्द्रीय सरकार, (मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ०-3-2/95 यू० आई०/डैस्क, दिनांकित 27-3-1998 द्वारा निम्नांकित विनियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है:—

1 पंजाब यूनिवर्सिटी कैलैण्डर, भाग , 1994 के पृष्ठ 77-78 पर दिये अध्याय II (ख) में निहित सामान्य फैलोज के चुनाव से संबंधित विनियम 17

(xiii) (ग) का संशोधन और इसे सीनेट, भारत सरकार की मंजूरी और भारत सरकार के गजट में प्रकाशन से पहले सिण्डिकेट द्वारा मंजूर की तिथि से लागू किया जाये:—

कोई मतपर्ची उस मतदाता को जारी नहीं की जायेगी जो मतदान के लिये निश्चित समय में मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं है, जो मतदान समय पहचान के लिये निम्नांकित में से कोई एक लिखित प्रमाण प्रधान अधिकारी के आगे प्रस्तुत नहीं करता:—

(i) मान्यताप्राप्त संस्था जैसे सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थायें, कानूनी निकाय, स्वायत्त निकाय, निगमों, बोर्डों के नियोजकों से मतदाता की फोटो सहित अपना हाल ही में बनाया पहचान पत्र।

(ii) सामान्य चुनाव पहचान पत्र।

(iii) फोटो सहित प्रामाणित ड्राइविंग लाइसेंस

(iv) प्रामाणिक पासपोर्ट

(v) पहले दर्जे के मैजिस्ट्रेट/सबार्डिनेट जज/यूनिवर्सिटी से सम्बन्द्ध कालेज के प्रिंसिपल/हैडमास्टर/हैड-मिस्ट्रिस-सरकारी सीनियर सकेण्ड्री/हाई स्कूल के अथवा किसी भी गजटिड प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से तसदीक किया हुआ फोटो सहित प्रमाण पत्र।

नोट: जो व्यक्ति जाली मतदान डालने का दोषी पाया गया, उसके खिलाफ मजरिमाना कार्यवाही की जायेगी।

2. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग I, 1994 के पृष्ठ 176-178 पर "सम्बद्ध कालेज", "संबंधन की शर्तें," से संबंधित अध्याय VIII (क) के 1.2 और 5.3 विनियमों का संशोधन:

1.2 यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्र पहुंचने की अन्तिम तिथि उस साल से पहले का 001 अक्तूबर होगा जिस साल में कालेज खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

5.3 यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्र पहुंचने की अन्तिम तिथि निम्नानुसार होगी:

(क) साईंस के विषय का संबंधन बढ़ाना उस साल के पहले का 1 नवम्बर जिसमें उस विषय में क्लासें शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(ख) साईंस के विषय के अलावा अन्य विषय का संम्बंधन बढ़ाना—उससाल के पहले का 1 नवम्बर जिसमें उस विषय में क्लासें शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

बशर्तें कि सिण्डिकेट, विशेष कारणों का अनुभव करती हुई, ऐसे आवेदन पत्रों को अंतिम तिथि के बाद भी ले सकती है, यदि यह देरी 15 दिनों से अधिक न हो।

3. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलैण्डर भाग I, 1994 के पृष्ठ 184-85 पर "शाम की क्लासों वाले सम्बद्ध कालेज, ऐसी अनुमति के लिये शर्तों सहित" से संबधित अध्याय VIII (ग) के विनियम 23 का संशोधन:

23.1 शाम की क्लासें शुरू करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र रजिस्ट्रार के पास उस साल से पहले 1 अक्तूबर को पहुंच जायेंगी जिस साल में शाम की क्लासें शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बशर्ते कि सिण्डिकेट, विशेष कारणों से, नियत तिथि के बाद भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती है।

23.2 रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्र पहुंचने की अन्तिम तिथि निम्नानुसार होगी:—

(क) साईंस के विषय के लिये संबंधन बढ़ाना—उस साल से पहले का 1 नवम्बर जिसमें क्लास शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(ख) साईंस के विषय के इलावा किसी अन्य विषय का संबंधन बढ़ाना— उस साल से पहले का 1 नवम्बर जिसमें उस विषय की क्लासें शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

बशर्ते कि सिण्डिकेट, विशेष कारणों से, ऐसे आवेदनपत्रों को अन्तिम तिथि के बाद भी स्वीकार कर सकती है, यदि यह देरी 15 दिनों से अधिक न हो।

4. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग II, 1995 के पृष्ठ 272 पर शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा में और स्पोर्टस में बी० एससी० तीन वर्षीय डिग्री कोर्स के लिये 6 और 20 विनियमों का संशोधन, और यह सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी और भारत सरकार के गजट में प्रकाशन से पहले 1996 के वर्ष से लागू किया जाये :

6. पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी सिण्डिकेट द्वारा निर्धारित तिथियों पर वार्षिक तौर पर लेगी।

कम्पार्टमैंट वाले परीक्षार्थियों के लिए अनुपूरक परीक्षा सिंडिकेट द्वारा निर्धारित तिथियों पर ली जायेगी।

20. जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बी० एस सी० (शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और स्पोर्टस) डिग्री प्रदान करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, उसको अपना पहला निष्पादन बेहतर बनाने के लिये प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर पेपर/पेपरों में रिअपियर होने की अनुमति दी जा सकती है, वह पहले, दूसरे और तीसरे साल की परीक्षाओं अथवा किसी भी परीक्षा में एक साथ अथवा अलग-अलग तौर पर बैठ सकता है।

इस मतलब के लिये, उनको तीसरे साल की परीक्षा पास कर लेने से दो साल की अवधि में दो अवसर दिये जा सकते हैं। वह इन अवसरों का अगली दो वार्षिक परीक्षाओं के साथ लाभ उठा सकता है।

5. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 394 पर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिये विनियम 3.2 का संशोधन :

3.2 यूनिवर्सिटी विभाग अथवा मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के लिये यूनिवर्सिटी से संबद्ध कालेज अथवा यूनिवर्सिटी के अधिकार-क्षेत्र के विभाग/उद्योग/प्रयोगशाला में काम कर रहे इंजिनियर को बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने और इन विनियमों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर इस कोर्स में दाखिला होने की अनुमति दी जा सकती है। लैक्चर और सैशनल काम आदि शुरू करने से पहले वह अपना पहली सिमैस्टर परीक्षा के लिये पंजीकरण करवायेगा। उसे किसी सिमैस्टर में तीन से अधिक थियरी पेपर और एक शैक्षिक वर्ष में 5 से अधिक थियरी पेपर करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे परीक्षार्थी को कोर्स की अवधि के दौरान में अपने आप को पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु बहुत ही अपवादात्मक स्थितियों में, कुलपति की मंजूरी से परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु परीक्षार्थी वर्जीफा लेने के योग्य नहीं होगा।

बशर्ते कि किसी भी अंशकालिक एम० ई० कोर्स में दाखिले के लिये परीक्षार्थी का विभाग के अध्यक्ष/प्रिंसिपल द्वारा स्वीकृत विभाग/उद्योग/अनुसंधान संगठन में कम से कम दो साल का काम/खोज/अध्यापन का अनुभव होना चाहिए, बशर्ते कि इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध इंजीनियरिंग कालेजों/ यूनिवर्सिटी विभाग/ विभागों में काम कर रहे अध्यापकों की हालत में यह शर्त लागू नहीं होगी।

6. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेण्डर, भाग II, 1995 के पृष्ठ 482-84 पर बैचलर ऑफ फाइन आर्टस (बी० एफ० ए० 4-साला डिग्री कोर्स) से संबंधित 1.2 और 5 विनियमों का संशोधन :

1.2 परीक्षा के लिये लेट फीस बिना और लेट फीस सहित दाखिला फार्म और फीस लेने के लिये अंतिम तिथि समय-समय पर सिंडिकेट द्वारा निश्चित की जायेगी और परीक्षा-कंट्रोलर द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

5. पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा लिये जाने वाली बैचलर ऑफ फाइन आर्टस (बी० एफ० ए०) की परीक्षा की फीस समय-समय पर सिंडिकेट द्वारा निश्चित की जायेगी।

7. कैलेन्डर, भाग II, 1995 के पृष्ठ 121 पर विनियम 13 में निहित एम० एस सी० (आनर्ज स्कूल) सिमैस्टर प्रणाली में निष्पादन के सुधार के लिये वर्तमान व्यवस्था के अनुसार परीक्षा की एम० एस सी० (आनर्ज स्कूल) वार्षिक प्रणाली में निष्पादन के सुधार के लिये विनियम की वृद्धि :

13. जिस परीक्षार्थी ने पंजाब यूनिवर्सिटी वार्षिक प्रणाली अधीन एम० एस सी० (आनर्ज स्कूल) परीक्षा पास कर ली है, वह अपने निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर अपनी पसंद के कोर्स/कोर्सों में रि-अपियर हो सकता है। इस उद्देश्य के लिये उसे यह डिग्री कोर्स पास करने से 5 साल की अवधि में दो अवसर दिये जा सकते हैं। सब से पहले परीक्षार्थी उन सभी कोर्सों को सूचित करेगा जिनमें वह अपने निष्पादन को बेहतर बनाना चाहता है। फिर वह मुख्य वार्षिक परीक्षा में संबंधित कोर्स/कोर्सों में परीक्षा देगा अर्थात अप्रैल/मई की परीक्षा में पहले साल और दूसरे साल के लिये पेश किये कोर्स/कोर्सों के लिये। यदि वह किसी कोर्स/कोर्सों में अपना निष्पादन बेहतर बनाने में कामयाब नहीं होता, वह अगले साल केवल अप्रैल/मई की वार्षिक परीक्षा में ऐसा करने के योग्य होगा जिसको उसका दूसरा अवसर माना जायेगा। परीक्षार्थी से सिंडिकेट द्वारा समय-समय पर निर्धारित परीक्षा फीस वसूल की जायेगी।

8. कैलेन्डर, भाग II, 1995 के पृष्ठ 28-29 पर "वज़ीफों" से संबंधित विनियम 9 (iv) का संशोधन :

9. यूनिवर्सिटी वज़ीफे इस शर्त के अंतर्गत धार्य होंगे कि धारक यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाओं को अंतिम चरण तक पास करे।

(i) से (iii) ×××

(i) बी० एस०-सी० (आनर्ज स्कूल) परीक्षा के परिणाम के आधार पर, यदि परीक्षकों के बोर्ड ने सिफारिश की है । 24 महीनों के लिये यदि धारक एम० एस०-सी० (आनर्ज स्कूल) कोर्स में दाखिल हो जाता है ।

9. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर भाग II, 1995 के पृष्ठ 158 पर मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (एम० एम० सी०) के लिये विनियमों का संशोधन :

3. इस कोर्स में दाखिले के लिए न्यूनतम योग्यता होगी :-

(i) इस यूनिवर्सिटी से पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म अथवा बैचुलर आफ जर्नलिज्म डिग्री और कुल अंकों में से कम से कम 50 प्रतिशत;

(ii) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली अथवा यूनिवर्सिटी द्वारा (i) के समान मान्यता प्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट से कुल अंकों में से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा डिग्री इन जर्नलिज्म/मास कम्यूनिकेशन (अर्थात बी० जे०, बी० एस० इन कम्यूनिकेशन) ।

10. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर भाग II, 1995 के पृष्ठ 188 पर आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्सों के लिये विनियम 1.3 का संशोधन और सिंडिकेट/सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार के गजट में प्रकाशन से पहले लागू किया जाये ।

1.3 परीक्षा वार्षिक तौर पर सिंडिकेट द्वारा निश्चित की गई तिथियों पर होगी ।

11. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर भाग II 1995 के पृष्ठ 347 पर बैचुलर आफ इंजीनियरिंग परीक्षा से संबंधित नाम में परिवर्तन :

बैचुलर आफ इंजीनियरिंग इन एयरोनाटिकल, कैमिकल, सिविल, इलैक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल कम्यूनिकेशन, मकैनिकल, मैटालर्जिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ।

12. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग II, 1995 के पृष्ठ 358-59 पर मास्टर आफ इंजीनियरिंग परीक्षा से संबंधित विनियम 3.1 और नाम में परिवर्तन/संशोधन :

मास्टर आफ इंजीनियरिंग (एम० इंज०) कैमिकल, सिविल, इलैक्ट्रिकल, मकैनिकल, इलैक्ट्रानिक्स, इलैक्ट्रानिक्स प्रोडक्ट डिजाइन एण्ड टेक्नालोजी एण्ड इंडस्ट्रियल मैटिरियलज एण्ड मैटालर्जी ।

3.1 निम्नांकित योग्यताओं रखने वाला व्यक्ति मास्टर आफ इंजीनियरिंग की डिग्री के कोर्स में दाखिले के लिए योग्य होगा :—

(i) से (V) ×××

(I) मास्टर आफ इंजीनियरिंग इन इलैक्ट्रानिक्स प्रोडक्ट डिजाइन एण्ड टेक्नालोजी कोर्स में दाखिले के लिये निम्नांकित विशेषीकरणों में से किसी एक में कुल अंकों में से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से बैचुलर आफ इंजीनियरिंग/बैचुलर आफ टेक्नालोजी/बी० एससी० इंजीनियरिंग की डिग्री :

बायोमैडिकल इंजीनियरिंग एण्ड बायोकैमिकल इंजीनियरिंग अथवा कोई अन्य इस के समान विशेषीकरण ।

अथवा

कम्पयूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग अथवा इसके तुल्य

अथवा

इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा इसके तुल्य

अथवा

इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अथवा इसके तुल्य ।

अथवा

इलैक्ट्रानिक इंस्ट्रूमैन्टेशन अथवा इसके तुल्य ।

अथवा

(ii) मास्टर आफ इंजीनियरिंग इन "इंडस्ट्रियल मैटिरियल्ज एण्ड मैटालर्जी" कोर्स में दाखिले के उद्देश्य से संबंधित शाखा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित बैचुलर आफ इंजीनियरिंग डिग्री इन मैटालर्जिकल, मकैनिकल, अथवा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के इन विषयों में किसी अन्य यूनिवर्सिटी से पास की इसके तुल्य परीक्षाएं ।

13(क) बी० ए०/बी० एससी० (जनरल और आनर्ज) परीक्षाओं के लिये 2.2 और 3.2 विनियमों का संशोधन :

2.2 अध्ययन के बी० एससी० (जनरल) कार्यक्रम में 20 क्रैडिट होंगे और प्रत्येक क्रैडिट का मूल्य 100 अंकों का होगा । पूरे शैक्षिक वर्ष में पढ़े विषय के 2 क्रैडिट होंगे । सभी थियरी पेपर और प्रैक्टिकल, यद्यपि उनके क्रैडिट मूल्य कुछ भी हों, पूरे शैक्षिक वर्ष में पढ़े जायेंगे ।

पहला साल

अनिवार्य

(क) अंग्रेजी ..... 1 क्रैडिट

(ख) पंजाबी/पंजाबी के स्थान पर* हिस्टरी एण्ड कलचर ऑफ़ पंजाब (वही पाठ्यक्रम जो बी० ए० जनरल परीक्षा के लिये निर्धारित किया गया है) ..... 1 क्रैडिट

ऐच्छिक विषय

कोई तीन ऐच्छिक विषय (1955 के दाखिलों से लागू) .... 6 क्रैडिट

दूसरा साल

दो दो क्रैडिट के तीन ऐच्छिक विषय 1996 के दाखिलों से लागू) .... 6 क्रैडिट

तीसरा साल

दो दो क्रैडिट के तीन ऐच्छिक विषय (1997 के साल से लागू) .... 6 क्रैडिट

कुल 20 क्रैडिट

*निम्नांकित प्रवर्गों के विद्यार्थी अनिवार्य विषय के रूप में पंजाबी के स्थान पर "हिस्टरी एण्ड कलचर ऑफ़ पंजाब" का विकल्प ले सकें —जो विद्यार्थी पंजाब के निवासी नहीं है और उन्होंने 10वीं कक्षा तक पंजाबी नहीं पढ़ी और केन्द्र सरकार के कर्मचारी और उनके वार्ड सर्व भारतीय आधार वर्ग पर बदली होती रहती है;

विदेशी

3.2(क) पढ़ाई का बी० एस-सी० (ऑनर्स) कार्यक्रम 24 क्रैडिटों का होगा और इन का मूल्य 100 अंक होगा। सारे शैक्षिक वर्ष में पढ़े जाने वाले विषय के दो क्रैडिट होंगे। सभी थियरी पेपर और प्रैक्टिकल, यद्यपि उनका क्रैडिट मूल्य कुछ भी हो, सारे शैक्षिक वर्ष में पढ़े जायेंगे।

विद्यार्थी किसी एक ऐच्छिक विषय में ऑनर्स ले सकता है जिसको वह कोर्स के सभी तीन सालों में पढ़ेगा बशर्ते कि उसने बी० एस-सी० (जनरल) कोर्स की पहले साल की परीक्षा में संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हों।

(ख) 24 क्रैडिटों में से, प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक साल में नीचे दिये अनुसार कोर्स प्रस्तुत करेगा :

पहला साल

बी० एस-सी० (जनरल) पहले साल जैसा ही ..... 8 क्रैडिट

दूसरा साल

बी० एस-सी० (जनरल) के दूसरे साल जैसा ही। इसके अतिरिक्त, जिस विषय में वह ऑनर्स डिग्री लेना चाहता है, उसमें एक क्रैडिट के दो उच्च पेपर .... 8 क्रैडिट

तीसरा साल

बी० एस-सी० (जनरल) के तीसरे साल जैसा ही। इसके अतिरिक्त, ऑनर्स के विषय में एक एक क्रैडिट के दो उच्च पेपर होंगे। ..... 8 क्रैडिट

कुल 24 क्रैडिट

19(ख) बी० ए० (जनरल और ऑनर्स) परीक्षा के लिए 2.2 विनियम के फुटनोट का संशोधन :

2.2 1992 के दाखिलों से बी० ए० कोर्स के पहले साल की संरचना निम्नानुसार होगी :

(I) अनिवार्य विषय

(क) पंजाबी		ये पेपर मिलकर प्रत्येक साल में एक विषय बनेगा
—दो पेपर	100 अंक	
*हिस्टरी एण्ड कलचर ऑफ़ पंजाबी		
—एक पेपर	100 अंक	
(ख) अंग्रेजी		
—एक पेपर	100 अंक	

(II) ऐच्छिक विषय

कोई तीन ऐच्छिक विषय जिनमें भाषाएं और लागू किए जाने पर व्यावसायिक कोर्स।

बशर्ते कि विद्यार्थी कोई भी साईंस का विषय और गणित तभी लेगा जब उसने वह विषय अर्हक परीक्षा में पास किया है अथवा संबंधित बोर्ड/यूनिवर्सिटी/कौंसिल

*(विद्यार्थी के निम्नलिखित प्रवर्ग पंजाबी को अनिवार्य विषय लेने की बजाय "हिस्ट्री एण्ड कलचर आफ पंजाब" का विकल्प ले सकते हैं)

जो विद्यार्थी पंजाब के रहने वाले नहीं हैं और जिन्होंने पंजाबी की पढ़ाई 10वीं कक्षा तक नहीं की ।

सुरक्षा कर्मचारी और केन्द्र सरकार के कर्मचारी और उनके वार्ड जिनकी बदली सर्वभारतीय आधार पर होती है । विदेशी यह विषय दाखिले के बाद की अनुपूरक परीक्षा में न्यून/अतिरिक्त विषय के रूप में पास कर लेता है । आगे बशर्ते कि विद्यार्थी

(क) स्टैटिस्टिक्स तभी ले सकता है यदि उसने गणित का विषय लिया हो।

(ख) अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स तभी ले सकता है जब गणित को छोड़कर अन्य विषय लेता है।

चण्डीगढ़–160014 एस० के० शर्मा

दिनांकित : 9–9–1998 डिप्टी रजिस्ट्रार (जनरल)

मेरी उपस्थिति में आज 9–9–1998 को पंजाब यूनिवर्सिटी की सामान्य मुहर से मुहरबन्द।

परमजीत सिंह

रजिस्ट्रार

RESERVE BANK OF INDIA

Central Office

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS, MUMBAI

Mumbai, The 25 September 1998

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 (as amended under the Notification No F. (8)/70 B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month onded August 1998 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists or believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon those securities should communicate immediately with the Chief General Manager Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts : List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs. / Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
National Defence Gold Bond 1980—'A' Series—Nagpur Circle					
NG-000610	9 gms. Gold	Bansidhar Brijlal Tiwari	12-02-1966	Bansidhar Brijlal Tiwari	CO. 7 Dated 06-07-1998

LIST 'B'

No. of Security	Value	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. & Date of orders issued
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10% Relief Bond 1995 (Byculla Circle)					
BC-598	10,00,000/	Daulat Hiranand Khatri	23-12-96	Daulat Hiranand Khatri	06.25.14 20-07-98
Gold Bond 1998 — Mumbai Circle					
BY/RPT/ 000012	2368 gms.	(i) Rama Parikshan Gupta (ii) Shyama Gupta & (iii) Suresh Chandra Gupta	On Maturity	(i) Rama Parikshan Gupta (ii) Shyama Gupta & (iii) Suresh Chandra Gupta	Case No. 20.04.-2060-A General Manager's orders dated 31-7-98 CO. Diary No. 90 dated 31-7-1998

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BY/RPT/ 000043	641 gms.	i) Shyama Gupta ii) Ram Parikshan Gupta & iii) Suresh Chandra Gupta	On Maturity	i) Shyama Gupta ii) Ram Parikshan Gupta & iii) Suresh Chandra Gupta	Case No. 20.04. 2061 General Manager's orders dated 31-7-98 CO. Diary No. 90 dated 31-7-1998
BY/RPT/ 000011	600 gms.	i) Suresh Chandra Gupta ii) Ram Parikshan Gupta & iii) Shyama Gupta	—do—	i) Suresh Chandra Gupta ii) Ram Parikshan Gupta & iii) Shyama Gupta	Case No. 20.04. 2060 General Manager's orders dated 31-7-98 CO. Diary No. 90 dated 31-7-1998
BY/RKN/ 000763	524	Satyam Khanna (Minor)	—do—	Satyam Khanna (Minor)	Case No. 20.04. 2071 General Manager's orders dated 4-8-98 CO. Diary No. 111 dated 5-8-1998
BY/RKN/ 000764	517	—do—	—do—	—do—	—do—
BY/RKN/ 000731	537	Rachana Khanna (Minor)	—do—	Rachana Khanna (Minor)	Case No. 20.04. 2070 General Manager's orders dated 4-8-98 CO. Diary No. 111 dated 5-8-1998
BY/RKN/ 000624	500	Ram Krishan Khanna & Sabeena Khanna	—do—	Ram Krishan Khanna & Sabeena Khanna	Case No. 20.04. 2069 General Manager's orders dated 4-8-98 CO. Diary No. 111 dated 5-8-1998
BY/RKN/ 000625	500	—do—	—do—	—do—	—do—
BY/RKN/ 000626	501	—do—	—do—	—do—	—do—
		6½% Loan 2005 (Kanpur Circle)			
KN-000727	5,000/-	M/s. Ganga Narain Kapoor	Interest payable from 19th Half yealy instalment i. e. from 01-10-1986	Laxmi Kant Jhunjhunwala	1R. 1779/66 dated 4-6-1998 (File No. 09.12.261)

N. A. AHALEY
Chief General Manager

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 14th September 1998

No. U—16-53/98—Med. II (Maha).—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr.(Mrs.) R. P. Rege to function as Medical Authority for Nasik Centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 1-10-98 to 30-9-99 till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (West Zone) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

[DR. (MRS.) S. SINGH]
Medical Commissioner

PANJAB UNIVERSITY

Notification No. 1-98/G.R.

The Central Govt. (Ministry of Human Resorce Development, Deptt. of Education) have accorded approval vide their letter No. F-3-2/95. U.I./Desk dated 27-3-1998 to the following Regulations :—

1. Amendment of Regulations 5, 17 and 19.1 relating to Election of Ordinary Fellows contained in Chapter IX(B) given at pages 70, 75 and 80 of P.U. Cal., Vol. 1, 1994, and be given effect to from the date of approval by the Senate in anticipation of the approval of Govt. of India and publication in the Govt. of India Gazette :—

5. Registration of Graduates :

B. (iv)	The prescribed fee for enrolment as a life member payable by the graduates in lump sum shall be Rs. 15/-	
	1. Initial fee of Rs. 5/-; and 2. The first annual fee of Re. 1 for a composite fee of Rs. 10/- for life.	Deleted
(v)	A graduate who has not paid the composite fee for life, shall not be entitled to vote or to seek election.	
(vi)	A registered graduate may pay the balance of the composite fee for life after which no further fee shall be due from him.	Deleted
(vii)	Whenever an election of an Ordinary Fellow by Registered Graduates is to be held the Registerar shall issue a public notice through advertisement to the effect that the defaulter would deposit the balance fee within 30 days from the date of notice, failing which their names would be removed, from the electoral rolls without further flotice for the ensuing election,	
	(1) the date of election (2) the amount due from him; (3) the date by which the payment should be made.	Deleted
	(a) the aforesaid notice shall be accompanied by a form (Appendix D) for reply by the defaulter.	
	(b) The reply by the defaulter to the aforesaid notice shall contain :—	
	(1) the date of M.O. and the fact whether he had entered his Regd. No. in the coupon of M.O. in case the fee was sent by M.O.	
	(2) the receipt number and date of payment in case the amount was paid to the University Cashier at the Counter.	Deleted
	In addition to the Notice as prescribed in Appendix C, the electors in this constituency will be informed through a newspaper/newspapers, as the Returning	
	Officer may think fit, requiring them to pay their dues by a particular date, failing which their names would not be included in the registered of voters in the said constituency.	

17. (iv) Every candidate seeking election by Registered Graduates shall deposit with the Registrar a sum of Rs. 500/- in cash by the date and hour prscribed for receipt of nomination papers. This amount shall be forfeited to the University if a candidate does not secure, in the election at the time of elimination, at least one-fourth of the quota required to secure his return, out it will be refunded if he had withdrawn his name by communicating the fact to the Returning Officer by the date Prescribhd for the Purpose.

XXX XXX XXX

(xviii) (c) No Ballot paper shall be issued to a voter who is not present at the polling booth within the time fixed for polling and does not produce any of the following documents before the presiding Officer at the time of polling for identfication :

1. Own recent Identity Card.
2. General Election Identity card,
3. A certificate with photograph duly attested by Ist Class Magis-

trate. After the votes have been cast and the polling time has expired, the Ballot Box shall be closed and brought to the Headquarter/offices of the University. The Ballot Box shall be deposited with the Registrar for safe custody.

19.1 A petition in respect of matters brought to the notice of the Returning Officer or the Presiding Officer as mentioned in Regulations 18.1 and 18.2 and a petition on any of the following points in connection with the election must reach the Registrar within 10 days of the declaration of the result, with a security deposit of Rs. 250/- which amount shall be forfeited if the election petition is dismissed.

2. Amendment of Appendix (F) (i) relating to "Schedule for Election of Ordinary Fellows" given at pages 95-96 of P.U. Calendar, Volume I, 1994, and be given effect to from the date of approval by the Senate in anticipation of the approval of Govt. of India and publication in the Govt. of India gazette—

APPENDIX (F) (i)

SCHEDULE FOR ELECTION OF ORDINARY FELLOWS

Sr.No.	Subject	Interval proposed for various events
1.	Notice giving date of election, etc. to be issued.	240 days before the date fixed for election.
2.	Notice to defaulters to be issued through the Press also to repeat the Press Notice after 10 days.	240 days before the date fixed for election.
3.	Existing Register of Graduates to be made available.	240 days before the date fixed for election.
4.	Date of Payment of balance/composite fee to be paid to the University.	210 days before the date of election.
5.	Last date for receipt of application for fresh enrolment alongwith fee.	210 days before the date of election.
6.	Supplementary Register of Graduates to be made available.	180 days before the date of election.
7.	Last date for receipt of intimation of change of address.	150 days before the date of election.
8.	Last date for receipt of claims and objections.	90 days before the date of election.
9.	Scrutiny of claims and objections by Registrar.	80 days before the date of election and if necessary on subsequent days.
10.	Meeting of the Committee to consider objections raised to Registrar's decision.	The day following the disposal of claims and objections.
11.	Final Register of Graduates to be made available.	55 days before the date of election.
12.	Notice inviting nominations to be issued (copy also to be pasted on the public Notice-Board in the University office.	54 days before the date of election.
13.	Last date for receipt of Nomination forms.	Not later than 3 O'clock of the 45th day before election.
14.	Last date for receipt of the deposit of Rs. 500/-.	Not later than 3 O'clock of the 45th day before election.
15.	Date of publication of the list of candidates seeking election.	43 days before the date of election.
16.	Date of scrutiny of Nomination Papers and publication of the list of candidates whose papers have been found valid.	40 days before the date of election.
17.	Last date for receipt of objections to the nomination papers.	35 days before the date of election.
18.	Last date for withdrawl of candidature.	Not later than 3 o'clock of the 30th day before the date of election.
19.	Despatch of Ballot papers	To be completed at least 15 days before the date of election.
20.	Date of Election	

3. Amendment of Regulations 1 and 2 contained in Chapter II(A) (vii) relating to 'The Panjab University Sports Committee' at page 69 of P.U. Calendar, Volume I, 1994 :

1. There shall be a Sports Committee which shall be called the Panjab University Sports Committee.

2. The constitution, objectives and functions of this Committee shall be prescribed by the Syndicate from time to time and included in the Rules

4. Amendment of Regulations 13 and 15 contained in Chapter II(A) relating to'Faculties' at page 59 of P.U. Cal., Vol. I, 1994 and be given effect to in anticipation of the approval of the Senate/ Govt. of India/publication of Gazette notification by the Govt. :—

13. (i) Every Faculty shall consider recommendations of the Board of Studies/Board of Control in regard to the following matters and approve or forward the same to the Academic Council and/or the Syndicate, as the case may be, with such modifications, if any, made by the Faculty :—

(a) Syllabi and Courses of reading to be completed by candidates for the examinations of the University;

(b) minimum qualifications required for admission to various courses:

(c) other conditions to be complied with by candidates for admission to degrees, diplomas, licences and marks of honour;

(ii) Consider any other matter that may be referred to by the Academic Council and/or the Syndicate.

15.1 The recommendations of the Faculties of Languages, Arts, Science, Business Management and Commerce, Education and Design & Fine Arts in regard to policy matters (to be decided by the Vice-Chancellor) relating to educational and course curriculum development and matters having Interdisciplinary bearing or major changes in the existing courses shall be submitted to the Academic Council for approval. The Council shall, however, not alter, modify, or amend them without referring them back to the Faculty concerned for reconsideration. If after such a reference, there is still difference of opinion between the Faculty and the Academic Council, the recommendations of the Faculty shall be forwarded to the Syndicate alongwith the recommendations of the Academic Council for final approval.

5. Amendment of Regulation 2.5 (d) relating to Board of Studies in Education at page 62 of P.U. Calender, Volume I, 1994 :

2.5 The Board of Studies in Education shall consist of :

(a) to (c) xxx xxx xxx

(d) Ten members to be elected from amongst the Principals and whole-time teachers of the colleges of Education/whole-time teachers of the Department of Education, Panjab University and whole-time teachers teaching the subject of Education in affiliated colleges, in accordance with the procedures laid down in the Regulations.

(e) xxx xxx xxx

6. Amendment of Regulation 10 contained in Chapter VII (D) relating to Residence, Health, Welfare, Conduct and Discipline of students at page 172 of P.U. Calendar, Volume I, 1994 :

10. Every student on the rolls of an affiliated college, University Teaching Department/ Institute/School shall pay a sum of Rs. 15/- per annum as University Sports fee or the Sports fee prescribed by the Syndicate from time to time, to be remitted to the Panjab University Sports Committee.

77. Amendment of Regulation 3.1 for Master of Arts examination at pages107-110 of P.U. Calendar, Volume II, 1988 :

3.1 A person who has passed one of the following examinations from this University, or from the Panjab University at Lahore before 1948, or from any other University whose examination has been recognised as equivalent to the corresponding examination of this University shall be eligible to join the First Year (Part I) class of the M.A. course :—

(i) to (ix) xxx xxx

Provided that—

(1) (a) to (g) xxx xxx

(h) For Philosophy Course, (i) a person who has passed B.A. with 45% marks in Psychology Political Science, Economics, Sociology, Mathematics or Physics;

OR

(ii) a person who has passed Guru Granth Acharya/Shastri (New Scheme with English as a subject) examination provided he/she passed English at the Graduate level.

8. Amendment of Regulation 3 at page 178 P.U., Calendar, Volume II, 1988, relating to the qualifications for admission to Postgraduate Diploma in Computer Science and Applications, and be given effect to in anticipation of the approval of the Syndicate/Senate/Govt. of India/publication in the Gazette Notification of the Govt. :

3. The minimum qualification for admission to the course shall be —

i) *Bachelor's degree under 10+2+3 system of education with atleast 55% marks and any two of the subjects of Physics, Chemistry, Mathematics, Electronics, Computer Science, Statistics, Management, Economics or B.Sc. Engg./B. Tech./B.E./ B.Sc. (Hons. School)/ B.Com. with 55% marks.*

ii) Any other examination recognised by the Syndicate as equivalent to (i) above.

9. Deletion of Exception 2 to Regulation 2.1 for Bachelor of Education (B.Ed.) examination at pages 268-69 of the P.U. Cal., Vol. II, 1988 :

2.1 A person who possesses one of the following qualifications shall be eligible to join the course :

(a) to (e)

Explanation—(i) to (ii)

Exception—1. In the case of students belonging to Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes (excluding economically backward classes) the requirement or 45 per cent marks shall be reduced by 5 per cent provided they have obtained minimum pass marks prescribed by the regulations .

2. A person who passed B.A./B.Sc. examination from the Panjab University Lahore, before 1948, shall be exmepted from the requirement of 45 per cent marks. } Deleted

10. Addition of Regulation 11.3 for B.Ed. examination at page 272 of P.U. Calendar, Volume II 1988 :

ADDITION OF REGULATION

11.3 A person who has qualified for the award of the B.Ed. degree from the Panjab University may be allowed to re-appear as a private candidate in the subject(s) in which he appeared earlier in the B.Ed. examination with a view to improve his/her performance, provided the candidate has in the meanwhile, not passed any higher course in the said faculty.

For this purpose, he/she would be allowed to appear only within two consecutive chances from the date of his/her passing the B.Ed. examination and that he/she will have to take the re-appear examination with the latest syllabus only.

11. Addition of Regulation 2.3 for Shastri (3-Year Degree Course) examination (effective from the examinations of 1994), and be given effect to in anticipation of the approval of the Syndicate/ Senate/Govt. of India :

Addition of Regulation

2.3 A person who has been placed under compartment in one paper in Park Shastri examination conducted by this University or an examination of another University recognised as equivalent thereto, shall be eligible to join/appear in Shastri (3 Year Degree Course) Part I examination provisionally. In case he fails to clear the compartment paper of the lower examination in the next two consecutive chances immediately following the examination in which he was placed under compartment, his provisional admission to Shastri (3 Year Degree Course) Part I examination as also his result of Shastri (3 Year Degree Course) Part I examination shall be cancelled.

12. Amendment of Regulation 5 for M.Sc. (Hons. School) (Annual System) :

5. The examination in Part I/II shall be open to a student who has passed one academic year previously the examination as laid down in Regulation 2 and whose name is sent to the Controller of examination by the Head of the University Department he has most recently attended and who produces the following certificates signed by the Head of the Department concerned

(a) of having been on the rolls of the University Department for the academic year preceding the examination;

(b) of having good character; and;

(c) of having attended not less than (a) 66 per-cent of the full cource of lectures delivered to his class in each of the prescribed papers, and (b) 66 per-cent of the practical classes held and (c) in the case of *Project report, or dissertation/thesis or both, or having completed it sotisfactorily* and as directed by Head of the Department.

The candidate must submit his *Project report* dissertation/thesis so as to reach the University at least 20 days before the commencement of Part II examination.

13. Regulations for the Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.) Cource (effective from the examinations of 1993), *as per Appendix.*

PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH

Appendix to Item No. 13

Regulations for the Bachelor of Dental Surgery (BDS) Course to take effect from the Examination of 1993.

1.1 The duration of the Course of instructions for the degree of Bachelor of Dental Surgery (BDS) shall be five years.

1.2 There shall be four examinations viz. first, second, third, and final. The first examination shall be held at the end of first year, the second examination at the end of second year, the third examination at the end of third year and the final examination at the end of fourth year.

After the final examination there will be one year compulsory paid rotatory internship.

1.3 These examinations shall be held twice a year on suitable dates in the months of April/May and September/October or at such time as may be decided by the appropriate University authority from time to time.

1.4 The dates for receipt of examination admission forms with prescribed fees and with/without late fees as the case may be or the amount as determined by the competent authority from time to time will be notified by the University.

2.1 A person who has attained the age of 17 years, or more on 31st December of the year of admission and possesses one of the following qualifications shall be eligible to join the first year class of the Course, *after Qualifying the Entrance test:—

(i) 10+2 examination of the Punjab School Education Board/CBSE, New Delhi with at least 50 per cent marks in the aggregate of Physics, Chemistry, Botany and Zoology, provided he has qualified in English of 10+2 standard.

(ii) Any examination of another University/Board, recognised by the Syndicate as equivalent to the 10+2 examination of Punjab School Education Board/CBSE, New Delhi with at least 50 per cent marks in the aggregate of Physics, Chemistry, Botany and Zoology, provided he/she has qualified in English of 10+2 standard.

2.2 (a) A person who has passed the first B.D.S. Examination of the Panjab University or an examination of any other recognised University in India considered equivalent for the purpose by the Syndicate on the recommendations of the faculty of Medical Sciences, shall be eligible to join the Second year B.D.S. Class. However, a candidate who fails in the first B.D.S. examination in the April examination for the first time may be allowed to attend the next higher class until October next, but if he fails even in the September examination, he shall revert to the first B.D.S. class.

(b) A candidate who has obtained:—

(i) The MBBS degree of an Indian University.
or
(ii) any other equivalent medical qualification.
(iii) or has passed the subjects of Anatomy and Physiology of the first Professional MBBS examination of the Panjab University.

} Considered equivalent for this purpose by the Syndicate on the recommendations of the Faculty of Medical Sciences.

shall be exempted from the first B.D.S. examination except in the subject of Dental Metallurgy.

2.3 A person who has passed the second B.D.S. examination of the Panjab University shall be eligible to join the third year B.D.S. Class.

A candidate who has passed the subjects of Pathology and Materia Medica at the—

(i) MBBS examination of an Indian University;
OR
(ii) any other medical qualification considered equivalent for this purpose by the Syndicate on the recommendation of the Faculty of Medical Sciences, shall be exempted from the subjects of General Pathology and Bacteriology only of the second B.D.S. examination.

2.4 (a) A person who has passed the third B.D.S. examination of the Panjab University shall be eligible to join the final BDS class.

(b) A candidate who has—

(i) obtained the MBBS degree of an Indian University;
OR
(ii) obtained any other Medical qualification considered equivalent for this purpose by the Syndicate on the recommendation of the Faculty of Medical Sciences shall be exempted from the subjects of Medicine and Surgery only of the third BDS examination. He shall, however, be examined in Dental Materia Medica which shall be considered with Dental Surgery and Pathology with Dental Bacteriology all of which shall be combined and considered as one subject. In addition, he shall be examined in the subjects of Human Dental Anatomy, Physiology and Dental Histology, details of which are given in Regulation 4.4 against the second B.D.S. examination.

2.5 A person who has passed the final B.D.S. examination of Panjab University shall be required to undergo one year compulsory paid rotatory internship.

3.1 A student who possesses the qualification laid down in Regulation 2.1/2.2/2.3/2.4 and satisfies the following requirements duly certified by the Principal of a Medical/Dental college affiliated to the University in the faculty of Medical Sciences for the degree of Bachelor of Dental Surgery, shall be eligible to appear in the first/second/third/final B.D.S. examination :—

(a) of having been on the rolls of the college throughout the academic year preceding the examination;

(b) of having good character;

(c) of having attended not less than 75 per cent of the full course of

(i) Lectures delivered; and
(ii) Demonstration and practicals held

} Separately in each subject

(d) in the case of first examination, of having completed dissection in detail, of head and neck.

3.2 A deficiency in the required number of lectures, demonstrations and practicals may be condoned by the Principal up to the extent of 5 per cent of the lectures actually delivered, demonstrations and practicals actually conducted.

*to take effect from the admissions of 1994

3.3 A candidate who has completed the prescribed course as laid down in these regulations and is unable to appear in the examination, or having appeared has failed, may be admitted to subsequent examination, as under, on payment of the prescribed fee on each occasion and on producing a certificate signed by the Principal of the Medical/ Dental College in which he completed the cource, that he has, subsequent to his last failure, attended a course of training in the subjects of the examination as the Principal may determine :—

For First examination :	The candidate may be allowed to take the next three consecutive examinations, a candidate who is unable to qualify in all the three subjects in four consecutive chances, including the first chance to which he was originally entitled, shall not be allowed to continue his studies for the B.D.S. Course.
Second, Third and Final examinations :	One or more subsequent examinations.

4.1 The examination shall be held according to the syllabus prescribed by the appropriate University authority from time to time.

4.2 The medium of examination shall be English.

4.3 Ten per cent of the total marks in each subject of every examination shall be allotted for class work which includes day to day work and periodic class examinations, both written and oral, 5 per cent shall form a part of the theory/ written work and 5 per cent for clinical (in the case of clinical subject) or oral and practical in the case of more subjects in the First, Second, Third and Final year B.D.S. examinations.

4.4 Every candidate shall offer the subjects as determined by the Faculty of Medical Sciences from time to time.

5. The amount of examination fee to be paid by a candidate for—

First, Second, Third and Final examinations	shall be as prescribed by the competent University authority from time to time.

6.1 The minimum marks required to pass each examination shall be—

(a) 50 per cent in the written part of each subject;

(b) 50 per cent in the oral and practical/clinical parts of each subject.

6.2 A candidate ho obtains pass marks in one or more subjects shall be exempted from re-appearing in such subjects, provided that :—

(a) in the case of first B.D.S. examination, he must qualify in all the three subjects within the period prescribed in Regulation 3.3;

(b) in the case of Second, Third and Final examinations he clears the whole examination within a period of two years from the time the candidate first appeared in the examination, failing which he shall have to appear in the whole examination once again.

7.1 The Controller of Examinations shall publish the result as early as possible after the termination of the examination.

7.2 Successful candidates who obtain 80% per cent marks in any subject shall be declared to have passed "with distinction" in that subject provided they pass, in all the subjects of the said examination, at one and the same time.

7.3 A successful candidate of the First/Second/Third examination shall be granted a Detailed Marks Certificate for each examination.

A successful candidate of the Final examination shall be granted degree only after completion of one year of compulsory paid rotatory internship.

14. Amendment of Regulation 3.1 (ix) 1 (b) for Master of Arts examination at page 109 of P.U. Calendar, Volume II, 1988 :

3.1 (viii) xxx xxx xxx

3.1 (ix) 1 (b) For Ancient Indian History, Culture & Archeology Course, only a person who has passed B.A./ B.Sc. examination with History or Sanskrit or Philosophy or Art or Political Science or Sociology or Public Administration or Geography or Economics obtaining at least 45% marks in the subject, shall be eligible.

A person who has already passed the M.A. examination in any of the above subjects shall also be eligible to join this course.

15. Deletion of Regulation for Ph. D. degree in the Faculty of Dairying, Animal Husbandry & Agriculture given at pages 262-267 of P.U. Calendar, Volume II, 1988, as these Regulations have become defunct now.

16. Amendment of Regulation 2.1 for Bachelor of Education examination (B.Ed.) at pages 268-69 of P.U. Cal., Vol. II, 1988 and given effect to from the examinations of 1997:—

2.1 A person who possesses one of the following qualifications shall be eligible to join the course :

(a) to (e) xxx xxx xxx

Explanation-(i) A candidate who has been awarded B Sc. pass degree on the basis of B.Sc. (Hons. School) examination of the University, shall be deemed to have passed with 50% marks in the aggregate.

(ii) A candidate who passed in additional subject/s subsequent to obtaining B.A./B.Sc. degree, 45% marks in the aggregate shall be calculated by taking into account the marks obtained in the compulsory subject/s and three elective or additional elective subjects.

17. Amendment of Regulation 5.1 for 3 Ed. examination at page 270 of P.U. Cal., Vol. II, 1988 and be given effect to from the examination of 1997:—

5.1 The examination shall consist of two parts as under :—

Part I— : Theory Papers

Part II : Practicals (as per details given in the syllabus)

Provided that—

(i) xxx xxx xxz

(ii) The subject of teaching of Art shall be offered by a candidate who had taken up Fine Arts at his B.A. examination or possesses B.A. degree and Diploma in Drawing and Painting or Art and Craft Teachers Cource from a recognised institution.

(iii) The subject of Teaching of Music or Dance or Physical Education shall be offered by a candidate who had taken up concerned subject at his graduate or equivalent examination.

(iv) The subject of teaching of Social Sciences shall be offered by a candidate who had taken up any of the following subjects at the B.A. or M.A./M.Sc. level.

History, Geography, Political Science, Sociology, Economics, Public Administration, Commerce or Psychology.

18. Amendment of Regulations for (i) Diploma in Marketing Management, (ii) Diploma in Personnel Management and Labour Welfare, (iii) Master of Commerce (M. Com.), (iv) Master of Business Administration, (v) Master of Business Administration (Part-time), (vi) Master in Personnel Management and Industrial Relation, (vii) Diploma in Office Organisation and Procedures, (viii) Postgraduate Diploma in International Trade, (ix) Doctor of Philosophy in the Faculty of Business Management and Commerce and (x) Master of International Business (MIB), as per Appendix and be given effect to from 16-2-1995.

Appendix to Item No. 18

(i) Amendment of Regulations 2.2, 4, 5, 6.1, 6.2 and 11 for Diploma in Marketing Management at pages 307-310, Cal., Vol. II, 1988.

(2.2 The Head of the University Business School shall forward to the Controller of Examinations at least five weeks before the commencement of the examination for each semester a list of the students alongwith their admission forms and fees who have satisfied the requirements of regulations and are qualified to appear in the examination.

4. Every candidate shall be examined in the subjects as laid down in the syllabus prescribed from time to time.

50% marks in each paper excluding seminar, project and viva voce shall be assigned for internal assessment.

Seminar, Project and Workshop will be assessed internally on 100% basis. Viva-voce shall be conducted jointly by the internal and external examiners.

The Head of the University Business School shall forward these marks on the basis of periodical tests, written assignment case discussion, Syndicate sessions, field trips etc., to the Controller of Examinations at least one week before the commencement of the examination.

5. The Head of the University Business School will preserve the records on the basis of which the internal assessment awards have been prepared for inspection, if needed by the University, up to six months from the date of declaration of the results.

Project reports shall be submitted to the Head of the University Business School at least 10 days before the commencement of the examination. Reports received after the prescribed date shall not be accepted.

6.1 The first semester examination shall be open to a regular student who—

(i) has been on the rolls of the University Business School during one semester prescribing the first semester examination; and

(ii) has attended not less than 66 percent of the lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, field Trips, Project work etc., for each paper; (a deficiency up to 10 per cent may be condoned by the Head of the University Business School).

6.2 The second semester examination shall be open to a regular student who—

(a) has been on the rolls of the University Business School during one semester preceding the second semester examination;

(b) has attended not less than 66% of lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, field trips, project work etc., for each paper; (a deficiency up to 10% may be condoned by the Head of the University Business School); and

(c) *** *** ***

11. If a candidate is required to reappear in a paper which is 100% internal assessment he will be given one more opportunity to qualify in that paper without attending a fresh course of lectures. This work assignment may be determined by the Head of the University Business School.

(ii) Amendment of Regulations 2.2, 4, 5, 5.1, 6.2 and 10 for Diploma in Personnel Management and Labour Welfare at pages 311-314, Cal., Vol. II, 1988

2.2 The Head of the University Business School shall forward to the Controller of Examinations at least five weeks before the commencement of the examination for each semester, a list of the students alongwith their admission forms and fees who have satisfied the requirements of regulations and are qualified to appear in the examination.

4. Every candidate shall be examined in the subjects as laid down in the syllabus prescribed from time to time.

50% marks in each paper excluding seminar, project and viva-voce shall be assigned for internal assessment.

Seminars, Projects and Workshop will be assessed on 100% basis, Viva-voce shall be conducted jointly by the internal and external examiners.

The Head of the University Business School shall forward these marks on the basis of periodical tests, written assignment, case discussions, syndicate sessions, field trips etc., in the Controller of Examinations atleast one week before the commencement of the examination.

5. The Head of the University Business School will preserve the records on the basis of which the internal assessment awards have been prepared for inspection, if needed by the University, up to six months from the date of declaration of the results.

Project Reports shall be submitted to the Head of the University Business School at least 10 days before the commencement of the examination Reports received after the prescribed date shall not be accepted.

6.1 The first semester examination shall be open to a regular student who—

(i) has been on the rolls of the University Business School during one semester preceding the first semester examination; and

(ii) has attended not less than 66 per cent of the lectures, seminars, case discussions, syndicate sessions, field trips, project work etc., for each paper (a deficiency up to 10 per cent may be condoned by the Head of the University Business School).

6.2 The second semester examination shall be open to a regular student who—

(a) has been on the rolls of the University Business School during one semester preceding the second semester examination;

(b) has attended not less than 66% of lectures, seminars, case discussions, syndicate sessions, field trips, project work etc., for each paper; a deficiency up to 10% may be condoned by the Head of the University

(c) *** *** **

10. If a candidate is required to reappear in a paper which is 100% internal assessment he will be given one more opportunity to qualify in that paper without attending a fresh course of lectures. The work assignment may be determined by the Head of the University Business School.

(iii) Amendment of Regulations 2.2, 4, 5, 6.1, 6.7, 9 and 12 for Master of Commerce (M.Com.) examination at pages 315-319, Gal., Vol. II, 1988.

2.2 The Head of the University Business School/ Principal of the college shall forward to the Controller of Examinations at least five weeks before the commencement of the examination for each semester, a list of the students who have satisfied the requirements of the regulations and are qualified to appear in the examination.

4. Every candidate shall be examined in the subjects as laid down in the syllabus prescribed from time to time.

50% marks in each paper excluding seminar, project and viva voce shall be assigned for internal assessment.

Seminar, Project and workshop will be assessed internally on 100% basis. Viva voce shall be conducted jointly by the internal and external examiners.

The Head of the University Business School/ Principal of the college shall forward these marks on the basis of periodical tests, written assignment, case discussions, syndicate sessions, field trips etc., to the Controller of Examinations at least two weeks before the commencement of the examination.

9. (a) A candidate who fails in the first or third semester but has secured at least 35% marks separately as well as jointly with internal assessment in not less than 50% of the papers prescried for that semester shall be permitted to continue his studies in the second and the fourth semester respectively but he will be required to reappear in the next April/ May examination in such papers in which he had failed in the December examination simultaneously with the second or the fourth semester examination as the case may be.

(b) to (d) xxx xxx xxx

(e) If a candidate is required to reappear in a paper which is 100% internal assessment, he will be given one more opportunity to qualify in that paper without attending a fresh course of lectures, The work assignment may be determined by the Head of the University Business School/Principal of the College.

12. The internal asessment awards of a candidate who fails in the examinaton and does not rejoin the University Business School/College as a regular student shall be carried foward to the next examination.

(iv) Amendment of Regulation 2.2, 4, 5, 6.1, 6.2 and 9 for Master of Business Administration at pages 320 to 324 of P. U. Cal., Vol. II, 1988.

2.2 The Head of University Business School shall forward to the Controller of Examinations at least five weeks before the commencement of the examination for each semester, a list of the students who have satisfied the requirements of regulations and are qalified to appear in the examination.

4. Every candidate shall be examined in the subjects as laid dowr in the syllabus prescribed from time to time.

50% marks in each paper excluding seminar, project and viva voce shall be assigend for internal assessment.

Seminar, Project and Workshop will be assessed internally on 100 % basis. Viva Voce shall be conducted jointly by the internal and external examiners.

The Head of the University Business School shall forward these marks on the basis of periodical tests, written assignment, case discussions, Syndicate sessions, field trips, etc., to the Controller of Examinations at least two weeks before the commencement of the examination.

5. The Head of the University Business School will preserve the records on the basis of which the internal assessment awards have been prepared for inspection, if needed by the University, up to six months from the date of declaration of the results.

Project reports shall be submitted to the Head of the University Business School at least ten days before the commencement of the examination. Reports received after the prescribed date shall not be accepted.

6.1 The first semester examination shall be open to a student who—

(i) has been on the rolls of the University Business School during one semester preceeding the first semester examination; and

(ii) has attended not less than 66% of the lectures seminars, case discussions, Syndicate sessions, field trips, project work etc. in each paper; a deficiency up to 10% may be condoned by the Head of the University Busineoss School.

6.2. The second, third, fourth, fifth or sixth semester examinations shall be open to a student who—

(a) has been on the rolls of the University Business School during one semester preceeding the second, third, fourth semester examination, as the case may be;

(b) has attended not less than 66% of lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, field trips., project work etc., in each paper, a deficiency up to 10% may be condoned by the Head of the University Business School; and

(c) has passed the first, second, third semester examinations respectively or is covered under reappear Regulation 9, below.

9. (a) to (d) XXX XXX XXX

(e) If a candidate is required to reappear in a paper which is 100% internal assessment, he will be given one more opportunity to qualify in that paper without attending a fresh course of lectures. The work assignment may be determined by the Head of the University Business School.

(V) Amendment of Regulations 2.2, 4, 5, 6.1(i) and (ii) and 6.2(a) for Master of Business Administration (Three Year Part Time Course) at pages 325-326 of P.U. Cal., Vol. II, 1988.

2.2 The Head of the University Business School shall forward to the Controller of Examinations, at least five weeks before the commencement of the examination in each semester, a list of the students who have satisfied the requirements of the Regulations and are qualified to appear in the examination.

4. Every candidate shall be examined in the subjects as laid down in the syllabus prescribed from time to time.

50% marks in each paper excluding seminar, project, workshop and viva voce shall be assigned for internal asessment.

Seminar, Project and Workshop will be 100% internal asessment, viva voce shall be conducted jointly by the internal and external examiners.

The Head of the University Business School shall forward these marks on the basis of periodical tests, written assignment, case discussions, Syndicate sessions, field trips etc., to the Controller of Examinations at least two weeks before the commencement of the exmination.

5. The Head of the University Business School will preserve the records on the basis of which the internal assessment awards have been prepared for inspection, if needed by the University, up to six from the date of declaration of the result.

Project reports shall be submitted to the Head of the University Business School, at least 10 days before the commencement of the examination. Reports received after the prescribed date shall not be accepted .

6.1 The first semester examination shall be open to a student who—

(i) has been on the rolls of the University Business School during one semester preceding first semester examination; and

(ii) has attended not less than 66% of the total lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, workshops, field trips, project worp etc., in each paper; a deficiency up to 10 per cent may be condoned by the Head of the University Business School.

6.2 The second, third, fourth, fifth and sixth semester examinations shall be open to a student who—

(a) has been on the rolls of the University Business School during the semester preceding the second second, third, fourth fifth and sixth semester examinations as the case may be;

(b) has attended not less than 66 per cent of of lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, field trips, project work etc., in each paper; a deficiency up to 10 per cent may be condoned by the Head of the University Business School; and

(c) XXX XXX XXX

(vi) Amendment of Regulations, 2.3, 4(d) 5, 6(i) (ii) and 6.2(a) (b) for Master of Personnel Management and Industrial Relations at pages 329 to 331 of P.U. Cal., Vol. II, 1988.

2.3 The Head of the University Business School shall forward to the Controller of Examinations, at least five weeks before the commencement of the examination in each semster, a list of the students alogwith their admission forms and examination fees who have satisfied the requirements of regulations, and are qualified to appear in the examination.

4. (a) , (b) & (c) XXX XXX XXX

(d) The Head of the University Business School shall forward these marks on the basis of periodical tests, written assignment, case discussions, Syndicate sessions, filed trips, etc., to the Controller of Examinations at least two weeks before the commencement of the examination.

5. The Head of the University Business School will preserve the records on the basis of which the internal assessment awards have been prepared, for inspection, if needed by the University, up to six months from the date of declaration of the results.

6.1 The first semester examination shall be open to a regular student who—

(i) has been on the rolls of the Univesity Business School, during one semester preceding the first semester examination,; and

(ii) has attended not less than 66% of the lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, field trips, project work etc., or each paper; (a deficiency up to 10% of the total lectures of each paper may be condoned by the Head of the University Bunisess School).

6.2 The Second, Third and Fourth semester examinations shall be open to a student who—

(a) has been on the rolls of the University Business School during one semester preceding the Second, Third and Fourth semester examination as the case may be.

(b) has attended not less than 66% of lectures, seminars case discussions, Syndicate sessions, field trips, project work, etc., in each paper (a deficiency up to 10% of the total lectures in each paper may be condoned by the Head of the University Business of School); and

(c) XXX XXX XXX

(vii) Amendment of Regulations 8, 9(i), (ii) & (iii) and 10(a) for Diploma in Office Organisation and Procedures at pages 347 and 348 of P.U. Cal., Vol. II. 1988.

8. 40 per cent marks in each paper shall be assigned for Internal Assessment. The Head of the University Business School/Principal of affiliated Colleges shall forward these marks on the basis of periodical test/written assignments/oral discussions etc. to the Registrar at least two weeks before the commencement of the examination. The record on the basis of which the Internal Assessment Awards have been prepared will be preserved for inspection, if needed by the University up to six months from the declaration of the result. This shall not, however, apply to the students of Deptt. of Correspondence Studies.

9. The examination shall be open to a student whose name has been sent by the Head, University Business School/Principal of the affiliated Colleges/Chairman, Deptt. of Correspondence Studies, as the case may be, and who;

(i) has been on the rolls of the University Business School/affiliated college/Department of Correspondence Studies, as the case may be, during one academic year preceding the examination;

(ii) X X X

(iii) has attended not less than 66 per cent of lectures/seminars etc. delivered to his class for each subject provided that a deficiency up to 10 per cent may be condoned by the Head of the University Business School/Principal of the affiliated college; and

10(a) A candidate who has been on the rolls of the University Business School/affiliated college Department of Correspondence Studies and has completed the prescribed course of lectures and practical training but is (i) unable to appear in the examination or (ii) unable to pass, may be admitted to the examination on the recommendation of the Head of the University Business School/Principal of the affiliated colleges/Chairman of the Department of Correspondence Studies during the next two consecutive years, without attending the course again.

(viii) Amendment of Regulations 2.3, 4(e) 5, 6.1(i), (ii) 6.2 (b) and 10 for Post-Graduate Diploma in International Trade at pages 334-336 of P.U. Cal., Vol. II, 1988.

2.3 The Head of the University Business School shall forward to the Controller of Examinations, at least five weeks before the commencement of the examination, for each semester, a list of the students alongwith their admission forms and examination fees who have satisfied the requirements of regulation and are qualified to appear in the examination.

4. (a) to (d)

(e) The Head of the University Business School shall forward marks of internal assessment on the basis of periodical tests, written assignments, case discussions, Syndicate sessions, field trips, etc., to the Controller of examinations at least one week before the commencement of the examination.

5. The Head of the University Business School shall preserve the records on the basis of which the internal assessment awards have been prepared for inspection, if needed by the University, up to six months from the date of declaration of the results.

6.1 The first semester examination shall be open to a student who—

(i) has been on the rolls of the University Business School during one semester preceding the first semester examination, and

(ii) has attended not less than 66% of the total lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, workshops, field trips, project work etc., in each paper; (a deficiency up 10 per cent of the total lectures for each paper, may be condoned by the Head of the University Business School).

6.2 The second semester examination shall be open to a student who—

(a) has been on the rills of the University Business School during one semester preceding the second semester examination;

(b) has attended not less thsn 66 per cent of lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, field trips, workshops, project work etc., for each paper (a deficiency up to 10 per cent of the total lectures for each paper may be condoned by the Head of the University Business School), and

(c)

10. If a candidate is required to appear in a paper which is assessed internally in 100% basis, he may be given one more opportunity to qualify in that paper without attending a fresh course of lectures. The work assignment in his case shall be determined by the Head of the University Business School.

(ix) Amendment of Regulations 1.1(iii), 2.1(ii) (iii), & (iv), 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5, 11.1, 14 and 15 for Doctor of Philosophy in the Faculty of Business Management and Commerce at pages 339 to 341 and 342 to 344 of P. U. Cal., Vol. II, 1988.

1.1 The enrolment to the Doctor of Philosophy in Faculty of Business Management and Commerce shall be open to a Candidate who has obtained Master's degree with not less than 50 per cent marks in the aggregate, from Panjab University or from any other University (approved by the Academic Council) in any one of the following subjects :

(i) Commerce or Management

OR

(ii) Economics, Mathematics, Statistics, Society Sociology, Psychology, Public Administration, Operations Research, Social Work, Engineering and Laws.

OR

(iii) Any subject other than those mentioned in (i) and (ii) above provided that the cadidate has either not less than 5 years' work experience at the

managerial (including administrative service) level or is a member of the Faculty in the university Business School, Panjab University with not less than 5 years' experience of teaching postgraduate classes.

Provided further that candidates with qualification mentioned in (ii) & (iii) above shall be eligible for enrolment only if the area of research relates to the Faculty of Business Management and Commerce.

2.1 Application for enrolment for the degree of of Doctor of Philosophy shall be considered by a Research Board in Business Management and Commerce (hereinafter referred to as Research Board) which shall consist of—

(ii) Chairman, University Business School, Panjab University (hereinafter referred to as the University Business School);

(iii) Professors in the University Business School;

(iv) One Reader by rotation in the University Business School;

(v) Two members nominated by the Vice-Chancellor.

3.1 A person who wishes to be accepted as a candidate for Ph.D Research shall, before starting research work, apply to the Research Board through the Chairman, of the Universtiy Business School, on the prescribed form of enrolment, with a fee as prescribed by the Syndicate from time to time (not refundable).

3.2 On being enrolled, every candidate shall pay a fee as fixed by the Syndicate from time to time. A person who is awarded a researeh scholarship by the University or by the University Grants Commission or by any other such body or is a teacher the University Business School or a College affiliated to this University may, however, be exempted from this fee.

4.2 A candidate enrolled for Ph. D. shall pursue his research work in the University Business School.

Provided that the Research Board may permit a candidate, after allocation of the subject of these is and the appointment of supervisor to pursue his research work at an approved centre. If the supervisor is not satisfied with the progress of a candidate who is permitted to continue his reserch work at an approved centre, the supervisor may require the candidate to continue further work in the University Business School.

4.3 A candidate who has cleared the course work and the comprehensive oral examination may be permitted to go to another country for a part of his research work. But he shall be required to stay at the University Business School, on his return for a minimum period of six months before he is permitted to submit his thesis.

5. The Ph. D. Programme shall consist of prescribed courses and a thesis. For candidates who are admitted under Regulations 1.1 (i) and (ii) above, the course work will be a spread over to two semesters. For others, the duration of the prescribed course work shall be three semesters.

However, Ph. D. candidates who are whole time members of the Faculty of the University Business School, may seek exemption from attending classes in one or more courses. The research Board, after proper scrutiny of the candidates earlier work and experience, may grant such exemption but they will be required to comply with other requirements of the course (test, examination etc.) and take comprehensive oral examination in their area of specialization.

11.1 Immediately after completion of the period of registration, a candidate shall submit alongwith his application for Ph.D. degree four copies of his thesis alongwith its summary neatly printed or type-written or published in his own name accompanied by a fee prescribed by the University from time to time and a certificate (as may be prescribed by the Syndicate) from his supervisor and countersigned by the Chairman of the University Business School of his having completed his research indicating the period for which the candidate has done research work and whether the thesis is worthy of consideration for the award of Ph.D. degree.

14. Every candidate shall give an undertaking that he will not publish his thesis without the previous permission of the Syndicate. If this permission if granted, the candidate shall acknowledge in the publication that the thesis as published was submitted partly or wholly to the University for the Ph. D. degree and shall also supply to the Controller of Examinations three copies of the published thesis, one copy to be placed in the University Business School and two copies in the University Library. The candiate will also furnish the University with copies of reviews of his publication which, alongwith the book, shall be brought to the notice of the Syndicate.

16. Viva Voce shall be held in accordance with the rules prescribed in this behalf by the Syndicate, before a final decision on the thesis. The examiners

must send alongwith their reports questions for use by the Board of examiners conducting the oral examination. Such a Board shall consist of (a) Chairman of the University Business School; (b) Supervisor/Supervisors (in case of joint supervision); and (c) an external examiner to be appointed by the Vice-Chancellor/Syndicate.

(X) Amendment of Regulations 2.2, 4, 5, 6.1, 6.2 (a) & (b) and 9(e) for Master in International Business of P. U. Cal., Vol. II, 1988.

2.2. The Chairman of the University Business School shall forward to the Controller of Examinations at least five weeks before the commencement of the examination for each semester, a list of the students who have satisfied the requirements of regulations and are qualified to appear in the examination.

4. Every candidate shall be examined in the subjects as laid down in the syllabus prescribed from time to time.

50% marks in each paper excluding seminar, project and viva voce shall be assigned for internal assessment.

Seminar, Project and Workshop will be assessed internally on 100% basis. Viva Voce shall be conducted jointly by the Internal and external examiners.

The Head of the University Business School shall forward these marks on the basis of periodical tests, written assignment, case discussions, Syndicate sessions, filed trips etc., to the Controller of Examinations at least two weeks before the commencement of the examination.

5. The Chairman of the University Business School will preseve the records on the basis of which the internal assessment awards have been prepared, for inspection, if needed by the University, up to six months from the date of declaration of the results.

Project Reports shall be submitted to the Head of the University Business School, at last 10 days before the commencement of the examination. Reports received after the prescribed date shall not be accepted.

6.1 The First Semester examination shall be open to a student who—

(i) has been on the rolls of the University Business School, during one semester preceding the first semester examination; and

(ii) has attended not less than 66% of lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, field trips, project work, etc., for each paper, a deficiency up to10% may be condoned by the Head of the University Bunsiness Shcool.

6.2 The Second, Third and Foruth semester examinations shall be open to a regular student who—

(a) has been on the rolls of the Univesity Business School during one semester preceding the Second, Third or Fourth semester examinations, as the case may be;

(b) has attended not less to 66% of lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, filed trips, project work, etc., for each paper; a deficiency upto 10% may be condoned by the Head of the University Business School; and

(c) XXX XXX XXX XXX

9.(a) to (d) XXX XXX XXX

(e) If a candidate is required to reappear in a paper which is 100% internal assessment he will be given one more opportunity to qualify in that paper without attending a fresh course of lectures. The work assignment may be determined by the Head of the University Business School.

19. Amendment of Regulation 3 for Bachelor of Engineering examination at page 381 of P.U. Cal., Vol. II, 1988:

3. The admission to the First semester Course in any Branch will be open to a candidate:

(a) who has passed 10+2 Science Streem Examination with English, Physics, Chemistry and Mathematics or its equivalent exam. conducted by a recognised Board/University/Council;

(b) has qualified in the Entrance Test conducted by a competent authority designated by the State/University or admission to the course securing minimum pass percentage as prescribed in the rules for the test. The minimum percentage for Scheduled Caste/Scheduled Tribe and all other reserved categories of candidates shall be 2/3 of the minimum percentage in the open category;

(c) the merit ranking in the Entrance Test shall be only basis for admission.

20. Amendment of Regulation 3.1 for Master of Engineering examination at pages 393-394 of P.U. Calendar, Volume II, 1988:

3.1 A person holding the following qualifications shall be eligible for admission to the course for the degree of Master of Engineering:

(i) to (v)

(vi) B.E. degree with atleast 50% marks in aggregate in Matellaurgical Engineering or Mechanical Engineering or Production Engineering from Panjab University or an equivalent degree in any of these or in Material Sciences from another University recognised by the Panjab University for the purpose of admission to M.E. in Industrial Materials & Metallurgy.

(vii) B.E. Degree with 50% marks in aggregate in Electronics & Electrical Communication/Electrical/Computer Science & Engg. from Panjab University or equivalent degree in any of those disciplines recognised by the Panjab University for the purpose of admission to M.E. in Electronics Product Design & Technology.

21. Approval of Transitory Regulations for Shastri Examination (Three-Year Degree Course) (New Scheme) (effective from 1995-96 session):

1. A student who has passed Shastri (Two Year Course) examination shall be allowed to get admission in M.A. (Sanskrit) Course provided he has cleared Compulsory English of Shastri (New Scheme) i.e. Shastri Parts I, II and III simultaneously or partwise. This concession will remain operative for 5 years i.e. up to the examinations of 1999.

2. A student who has not cleared Old Shastri or could not appear in Part II of Old Shastri Scheme may be allowed to appear in Shastri Part II (Old Scheme) up to April, 1996.

22. Approval of Transitory Regulations or Shastri Examination (Three-Year Degree Course) (New Scheme) (effective from 1995-96 session).

"A candidate who has passed Shastri (Old Scheme) examination from this University may appear at any subsequent Shastri (T.D.C.) examination in any one or more subjects prescribed for the examination except the subjects in which he has already passed the examination.

A candidate seeking permission on the said basis shall be allowed only if he is resident of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh or Union Territory of Chandigarh."

23. Amendment/Deletion of:

(i) Regulations 1 and 4 for Diploma in Medical Radiology Diagnosis (DMRD) at pages 474-76.

(ii) Regulations 1 and 4 Diploma in Medical Raiology Theraphy (DMRT) at pages 477-479 of P.U. Cal., Vol. II, 1988

(i) Diploma in Medical Radiology Diagnosis (DMRD)

(To come into force w.e.f. the admissions of 1991)

1. The examination or Diploma in Medical Radiology Diagnosis shall consist of two parts namely, Part I and Part II.

The examination in both parts will be held twice a year at a place or places as approved by the Syndicate. A candidate who has obtained the degree of M.B.B.S. before December can join the course from January without a house job and similary a candidate who obtained the degree of M.B.B.S. before July can join the course from July without a house job. The examination will be held twice a year for Part I and Part II, Part I examination will be held (in January and June every year) after completion of one year and Part II examination will be held (in December and May) after completion of two years course of Supplementary examination will be held after 6 months of annual examination.

4. The examination Part I shall be open to a person who:—

(i) has obtained the degree of this University or equivalent degree of any other University recognised by the Medical Council of India.

(ii) has been on the rolls of a Medical College affiliated to this University for Diploma in Medical Radiology (Diagnosis) Course for two years.

(iii) has worked before joining the diploma course, for not less than one year as a House Surgeon in the Medical College and Hospital, recognised by the Medical Council of India; (Out of this one year, six months should have been spent in the Radiology Department).

N.B.:—The following are considered equivalent to one year house job:—

(a) One year's whole time extra work by a candidate in the Radiology Department as a Post-graduate student.

(b) Registrar/Assistant Registrar in the Radiology Department for a period of one year.

(c) The work done by the candidate in hospitals approved by the council for internship for a period of 3 years.

(d) The work done by those already employed in State Medical Service or Armed Forces or other equivalent service for a period of 5 years.

} Deleted

Provided that whole-time extra work for six months by a candidate in the department as a Post-Graduate student/Registrar shall be equivalent to housemenship in Radiology for six months.

(iii) has his name sent by the Principal of Medical College affiliated to this University for the D.M.D.R. (Diagnostic) course, attended by him and is certified by the Principal in respect of requirement in (i) and (ii) above; and:—

(a) of having attended a part-time course of instruction in Physics as applied to Medical Radiology for three months.

(b) of having attended alongwith (a) the department of Radiology of a teaching hospital attached to a medical college, affiliated to this University for D.M.R.D. course to the satisfaction of Head of the Department of Radiology.

(c) of good moral and professional character.

(ii) Diploma in Medical Radiology Therapy (D.M.R.T.)

(To come into force w.e.f. the admission of 1991)

1. The examination for diploma in Medical Radiology (Therapy) D.M.R.T. shall consist of two parts namely, Part I and Part II.

The examination in both parts will be held twice a year at a place or places as approved by the Syndicate. A candidate who has obtained the degree of M.B.B.S. before December can join the course from January without a house job and similarly a candidate who obtained the degree of M.B.B.S. before July without a house job. The examination will be held twice a year for Part I and Part II. Part I examination will be held (in January and June every year) after completion of one year and Part II examination will be held (in December and May) after completion of two years of course. Supplementary examination will be held after 6 months of annual examination.

4. The examination in Part I shall be open to a person who:

(i) has obtained the degree of M.B.B.S. of this University or equivalent degree of any other University recognised by the Medical Council of India.

(ii) has been on the rolls of a Medical College affiliated to this University for Diploma in Medical Radiology (Diagnosis) course or two years.

(iii) has worked before joining the diploma course, for not less than one year as a House Surgeon in the Medical College and Hospital, recognised by the Medical Council of India; (Out of this one year, six months should have been spent in the Radiology department).

N.B.:—The following are considered equivalent to one year House job.

(a) One year's whole-time extra work by a candidate in the Radiology department as a Post-Graduate student. } Deleted

(b) Registrar/Assistant Registrar in the Radiology department for a period of one year.

(c) The work done by the candidate in hospitals approved by the council for internship for a period of 3 years.

(d) The work done by those already employed in State Medical Service or Armed Forces or other equivalent Service for a period of 5 years.

(iii) has his name sent by the Principals of Medical College affiliated to this University for the D.M.R.T. (Therapy) course, attended by him and is certified by the Principal in respect of requirement in (i) and (ii) above and:—

(a) to (c) *** *** ***

24. Amendment of Regulations

(i) 4.1, 4.2 and 6.3 for Bachelor of Pharmacy examination at pages 505-507,

(ii) 4.4, 5.2 and 5.4 for Master of Pharmacy examination (Revised Regulations),

(iii) 2.3, 4.2 and 7.2 for Doctor of Philosophy in the Faculty of Pharmaceutical Sciences at pages 513-518 of P.U. Cal., Vol. II, 1988 and be given effect to from January 1, 1995.

(i) Amendment of Regulations 4.1, 4.2 and 6.3 for Bachelor of Pharmacy examination at pages 506-507, P.U. Cal., Vol. II, 1988.

4.1 A student who possesses qualifications laid down in Regulations 3.1/3.2/3.3/3.4, has been on the rolls of the University Institute of Pharmaceutical Sciences/a College affiliated for this examination and submits to the Registrar, the following certificates signed by the Chairman of the University Institute/Principal of the College, shall be eligible to appear in First/Second/Third/Final examination as the case may be :

(a) of good character;

(b) of having attended not less than 75 per cent of the full course of the lectures and practicals in each of the course.

4.2 A deficiency in the required number of lectures and practicals may be condoned by the Head of the University Institute/College as the case may be up to 10 per cent in lectures and up to 5 per cent in practicals.

6.3 Ten percent of the marks in each paper of First/Second/Third and Final examinations shall be reserved for internal assessment, both written and practical, separately. The marks awarded shall be certified by the Chairman of the University Institute/Principal of the College as the case may be and counted towards the marks reserved for the respective paper for April/September examination, as the case may be.

(ii) Amendment of Regulations 4.4, 5.2, 5.4 for Master of Pharmacy examination (New Regulations)

4.4 A student who possesses qualifications laid down in Regulation 2, has been enrolled in the University Institute of Pharmaceutical Sciences and produces the following certificates signed by the Chairman of the University Institute shall be eligible for appearing in M. Pharm. Semester I and Semester II examination :

(a) xxx xxx xxx

(b) xxx xxx xxx

5.2 The examination of M. Pharm. III Semester shall consists of a thesis and its presentation at a seminar on a date fixed by the Chairman of the University Institute. The external examiner, members of the teaching staff and research students of the University Institute shall participate in the discussion on the thesis.

5.4 The evaluation of a thesis for Semester III examination shall be done by a board consisting of an external examiner, research supervisor of the candidate and the Chairman of the University Institute on the basis of the contents of thesis, its presentation and discussion thereon.

(iii) Amendment of Regulations 2.3, 4.2 and 7.2 for Doctor of Philosophy in the Faculty of Pharmaceutical Sciences at pages 513-518, P.U. Cal., Vol. II, 1988.

2.3 The candidate shall pursue research in the University Institute of Pharmaceutical Sciences or at a centre approved for the purpose by the Faculty.

4.2 After the competion of one year's research work, a candidate may be allowed by the Chairman to continue his research work at some other approved centre if—

(a) Facilities for further work do not exist at the University Institute.

xxx xxx xxx

7.2 If the Supervisor of a candidate who has been guiding research work for Ph.D. degree of another University is employed on the staff of the University Institute, the candidate may be allowed to enrol himself for the Ph.D. degree of this University under the same Supervisor, subject to fulfilment of these regulations. Such a candidate shall not submit his thesis until after one year of his enrolment in this University.

25. Amendment of Regulation 2.6 for Bachelor of Fine Arts examination (B.F.A.) at page 531 of P.U. Calendar, Volume II, 1988.

2.6 A candidate who has obtained a minimum of 45% marks in the practical of each subject and has obtained not less than 20 per cent marks in theory papers may be admitted to a supplementary examination of the same year or alongwith his annual examination of the higher class simultaneously. Such a candidate will be required to pay the examination fee per subject as prescribed by the University from time to time as fee for the supplementary as well as for annual examination. If he does not clear the theory paper/s concerned in the supplementary examination of alongwith the annual examination (or the next higher class), he shall revert to the lower class. However, a candidate who does not obtain pass marks in any of the practical papers will be declared fail in the examination and shall be required to rejoin the course of study afresh for one academic year in order to become eligible for appearing at the examination in a subsequent year, if otherwise eligible

S.K. Sharma
Deputy Registrar (General)

Chandigarh-160014
Dated : 9-9-1998

Sealed in my presence with the common seal of Panjab University, this day, 9th of September, 1998.

Paramjit Singh
Registrar

PANJAB UNIVERSITY

Notification No. 2-98/G.R.

The Central Govt. (Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education) have accorded approval vide their letter No. F. 3-2/95.U.I./Desk dated 27-3-1998 to the following Regulations:

1. Amendment of Regulation 26 for B.A./B.Sc. (General & Honours) examinations at page 55 of P.U. Cal., Vol. II, 1995 and be given effect to from the year of 1996 in anticipation of the approval of Senate/Govt. of India/publication in the Gazette of India:

26. A candidate who has passed B.A. or B.Sc. examination from this University may appear at any subsequent B.A. or B.Sc. annual examination in any one or more subjects prescribed for the examination except the subjects in which he has already passed the said examination.

A candidate seeking permission on the basis of 2 above shall be allowed only if he is resident of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh or Union Territory of Chandigarh. } Deleted

2. Amendment of Regulation 31 for B.A./B.Sc. (General & Honours) Examinations at page 56 of the P.U. Cal., Vol. II, 1995 and be given effect to from the year of 1996 in anticipation of the approval of the Senate/Govt. of India/Publication in the Gazette of India:

3. A person who has qualified for the award of the B.A. B.Sc. (General) or B.A./B.Sc. (Honours) degree from the Panjab University may be allowed to re-appear as a private candidate in a subject(s) in which he appeared earlier, with a view to improving his previous performance. He may re-appear in the First, Second and third Year examinations or any of the examinations, simultaneously or separately.

For this purpose, he may be given two chances within a period of two years from the year of his passing the B.A./B.Sc. (General) or B.A./B.Sc. (Honours) examination. He may avail of these chances alongwith next two annual examinations.

3. Amendment of Regulation 3.2 for Master of Arts examination at page 82 of P.U. Calendar, Volume II, 1995 and be given effect to from the year of 1996 in anticipation of the approval of the Senate/Govt. of India/Publication in the Gazette of India:

3.2 A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join the Second year (Part II) class of the M.A. course:

(a) MA. Part I examination in the subject offered from the Panjab University;

(b) M.A. Part I examination in the subject offered from Kurukshetra University (Kurukshetra) of Maharshi Dayanand University (Rohtak) or Punjabi University (Patiala) or Guru Nanak Dev University (Amritsar) or Himachal Pradesh University (Shimla) and in the subject or Gandhian and Peace Studies from any University in India whose examination has been recognised as equivalent to the corresponding examination provided he offered the same papers as are available at this University; in his case the marks obtained in M.A. Part I or any of these Universities shall be counted towards division of successful candidates at Part II examination by increasing or reducing the marks obtained in accordance with the maximum marks prescribed for Part I by the Panjab University.

In case there is some deficiency in subject(s)/paper(s) he/she shall have to clear the deficient subject(s)/paper(s), if any at the next two consecutive annual examinations of this University, if he/she fails to clear the deficient subject(s)/, paper(s) his result of M.A Part II examination shall stand cancelled.

4. Amendment of Regulation 13.2 for Master of Arts examination at page 116 of P.U. Cal. Vol. II, 1988 (now at page 87, 1995 edition) and be given effect to from the year of 1996 in anticipation of the approval of Senate/Govt. of India/Publication in the Gazette of India:

13.1 A candidate who has qualified for the award of M.A. degree from the Panjab University may be allowed to re-appear as a private candidate in the paper/s in which he wants to improve his previous performance. For this purpose, he may be given two chances within a period of five years from the date of his passing the M.A. examination. Improvement will not, however, be allowed in dissertation/thesis, viva voce and practicals. The candidate will be charged a fee of Rs 25/- for each paper or the maximum admission fee prescribed for the examination concerned, whichever is lower.

13.2 A person who is allowed to reappear in the M.A. examination under this regulation may reappear in both Part I and Part II at the annual examinations, simultaneously or Part I or Part II, or both the Parts separately, but if he chooses to appear in both the Parts, he must complete the examination within a period of five years from passing the examination.

5. Amendment of Regulation 17 for B.Com (General & Honours) examinations at pages 279-80 of P.U. Cal., Vol. II, 1995 and be given effect to from the year of 1996 in anticipation of the approval of Senate/Govt. of India/publication in the Gazette of India:

17. A person who has qualified for the award of the B.Com. (General) or B.Com (Honours) degree from the Panjab University may be allowed to re-appear as a private candidate in the subject(s) in which he appeared earlier, with a view to improving his previous performance. He may re-appear in the First, Second and Third year examinations or any of the examination(s) simultaneously or separately. For this purpose, he may be given two chances within a period of two years from the year of his passing the B. Com. (General) or B.Com. (Honours) examination. He may avail of these chances alongwith the next two annual examinations.

6. Amendment of Regulation 2.1 for M.Sc. (Honours School) examination (Annual System):

2.1 A person who has passed one of the following examinations in the concerned subject may be admitted to the M.Sc. (Hons. School) Course:

(i) B.Sc. (Hons. School) examination of the Panjab University in the subject of M.Sc. (Honours School) course.

(ii) B.Sc. (Pass or Honours) examination of the Panjab University or any other examination recognised by the Panjab University as equivalent thereto, with the subject of the Hons. School course.

(iii) B.A. or B.Sc. Examination of the Panjab University or any other examination recognised by the Panjab University as equivalent thereto, for admission to M.Sc. (Hon. School) in Anthropology.

(iv) B.Sc. (Pass or Honours) of Panjab University or any other examination recognised as equivalent thereto with Chemistry, Physics and Mathematics as elective subjects at B.Sc level, for admission to M.Sc. (Hons. School) in Chemistry and Physics and Mathematics as elective subjects for admission to M.Sc. (Hons. School) in Physics.

Provided that the admission of the eligible students in (ii), (iii) and (iv) above will be based on their merit in the entrance test conducted for this purpose/the fulfilment of such other requirements as may be laid down by the Syndicate.

7. Regulations under various Faculties for Charging of Admission/Examination fees for Annual, Supplementary, Improvement of Performance, additional subjects, part re-examination and re-appear examination wherever prescribed in the existing regulations, be substituted by "Admission/Examination fees for various courses shall be charged as prescribed by the Syndicate not before two years."

8. Amendment of Regulation 10 for B.A./B.Sc. (General & Honours) examinations and Regulation 5 for B.Com. (General & Honours) examinations at pages 50-51 and 277-78, respectively of P.U. Cal., Vol. II, 1995, and be given effect to from the examination of 1996 in anticipation of the approval of the Senate/Govt. of India/Publication in the Gazette of India:

10. The examinations for the First Year, Second Year and Third Year shall be held annually by the University on the dates fixed by the Syndicate.

For candidates placed in Compartment, a supplementary examination shall be held on the dates fixed by the Syndicate.

B.Com. (General & Honours)

5. The examinations for the First Year, Second Year an Third Year shall be held annually by the University on the dates fixed by the Syndicate.

For candidates placed in compartment, a supplementary examination shall be held on the dates fixed by the Syndicate.

9 Amendment of Regulation 1.3 for Diplomas and Literary Titles in Oriental Classical Languages at page 181, Cal., Vol. II, 1995 and be given effect to from the examination of 1996 in anticipation of the approval of the Senate/Govt. of India/Publication in the Gazette of India:

1. These examinations shall be held annually by the University on the dates fixed by the Syndicate.

10. Amendment of Regulation 1.3 for Park Shastri and Shastri (Three Year Course) at page 185, Cal., Vol. II, 1995 and be given effect to from the examination of 1996 in anticipation of the approval of the Senate/Govt. of India/Publication in the Gazette of India:—

1.3 The examinations for Park Shastri Part I and Part II and Shastri Parts I, II and III shall be held annually by the University on the dates fixed by the Syndicate.

For candidates placed in compartment, a supplementary examination shall be held on the dates fixed by the Syndicate.

Chandigarh-160 014 S.K. Sharma,
Dated: 9-9-1998 Deputy Registrar (General)

Sealed in my presence with the common seal of Panjab University, this day, 4th of September, 1998.

Paramjit Singh,
Registrar

PANJAB UNIVERSITY

No. 3-98/G.R.—The Central Govt. (Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education) have accorded approval vide their letter No. F.3-2/95 U.I./Desh dated 7-3-1998 to the following Regulations :—

1. Amendment of Regulation 17(xviii) (c) relating to Election of Ordinary Fellows contained in Chapter II(B) given at pages 77-78 of P.U. Cal., Vol. I, 1994, and be given effect to from the date of approval by the Syndicate in anticipation of the approval of Senate, Govt. of India and Publication in the Govt. of India Gazette :—

No Ballot paper shall be issued to a voter who is not present at the polling booth within the time fixed for polling and does not produce any of the following documents before the Presiding Officer at the time of polling for identification :—

(i) Own recent identity card with photograph of the voter, from the employer of a recognised institution i.e. Govt./Semi-Govt. institutions, Statutory bodies, Autonomous bodies, Corporations, Boards

(ii) General Election identity card.

(iii) A valid Driving licence, with photograph.

(iv) Valid passport.

(v) A certificate with photograph duly attested by Ist Class Magistrate/Subordinate Judge/Principal of College affiliated to University/Principal/Head Master/Head Mistress of Govt. Senior Sec./High Schools or any Gazetted Officer.

Note : Those ,who would be held guilty for casting bogus votes, would be liable to criminal prosecution.

2. Amendment of Regulations 1.2 and 5.3 of Chapter VIII(A) relating to "Affiliated Colleges", "Conditions of Affiliation", at pages 176-178, P.U. Cal., Vol I, 1994 :

1.2 The last date by which the applications should reach the Registrar of the University shall be October 1 of the year preceding the one in which it is proposed to start the College.

5.3 The last date by which the applications should reach the Registrar of the University shall be as under :

(a) Extension of affiliation for a Science subject November 1 of the year preceding the one in which it is proposed to start the classes.

(b) Extension of affiliation for a subject other than Science subject November 1 of the year preceding the one in which it is proposed to start the classes in the subject.

Provided that the Syndicate may, for special reasons entertain such applications after the last date, if it is late not more than 15 days.

3. Amendment of Regulation 23 of Chapter VIII(C) relating to "Affiliated Colleges with Evening classes, including Conditions for such permission" at pages 184-185, P.U. Cal., Vol. I, 1994 :

23.1 Application for grant of permission for the evening classes shall reach the Registrar of the University by October 1 of the year preceding the one in which it is proposed to start the evening classes. Provided that the Syndicate may, for special reasons, entertain an application after the prescribed date.

23.2 The last date by which the applications should reach the Registrar of the University shall be as under :

(a) Extension of affiliation for a Science subject November 1 of the year preceding the one in which it is proposed to start the classes.

(b) Extension of affiliation for a subject other than Science subject November 1 of the year preceding the one in which it is proposed to start the classes in the subject.

Provided that the Syndicate may, for special reasons, entertain such applications after the last date, if it is late not more than 15 days.

4. Amendment of Regulations 6 and 20 for B.Sc., Three-Year Degree Course in Physical Education, Health Education and Sports at page 272 of P.U. Cal., Vol. II, 1995, and be given effect to form the year of 1996, in anticipation of the approval of the Senate/Govt. of India/Publication in the Govt. of India Gazette :—

6. The examinations for the First Year, Second Year and Third year shall be held annually by the University on the dates fixed by the Syndicate.

For candidates placed in compartment, a supplementary examination shall be held on the dates fixed by the Syndicate.

20. A person who has qualified for the award of the B.Sc. (Physical Education, Health Education and Sports) degree from the Panjab University may be allowed to reappear as a private candidate in a paper(s) in which he appeared earlier, with a view to improving his previous performance. He may reappear

in the First, Second and Third year Examinations or any of the examinations, simultaneously or separately.

For this purpose, he may be given two chances within a period of two years of his passing the Third year examination. He may avail of these chances alongwith next two annual examinations.

5. Amendment of Regulation 3.2 for Master of Engineering Examinations at page 394 of P.U. Calendar, Vol. II, 1988 :

3.2 A whole time teacher in the University Department or a College affiliated to the University for the Master of Engg. Degree Course or an Engineer working in a Deptt./Industry/Laboratory within the territorial Jurisdiction of the University may be allowed to join the course on having obtained atleast 50% marks in Bachelor of Engg. and on fulfilment of the conditions laid down in these Regulations. He shall register himself for the first semester examination before beginning to attend the lectures and sessional work etc. He shall, however, not be allowed to study for more than three theory papers in any semester subject to a maximum of 5 theory papers during one academic year. Such a candidate shall not be allowed to enrol himself during the period of the course. In exceptional cases, however, a change may be permitted with the approval of the Vice-Chancellor but the candidate shall not be eligible for the award of scholarship.

Provided that for admission to any part-time M.E. Course the candidates should have at least two years work/research/teaching experience in a Department/Industry/Research organisation approved by the Head of the Deptt./Principal, provided that in the case of teachers in the Engineering Colleges/affiliated to this University and the University Department/s, this condition will not be applicable.

6. Amendment of Regulations 1.2 and 5 concerning Bachelor of Fine Arts (B.F.A. 4-year degree course) at pages 482 and 484 of Panjab University Cal., Vol. II, 1995.

1.2 The last date for receipt of examination admission form and fee without late fee and with late fee shall be as fixed by the Syndicate and notified by the Controller of Examinations from time to time.

5. The fee for the Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) examination conducted by the Panjab University shall be fixed by the Syndicate from time to time.

7. Addition of Regulation for M.Sc. (Hons. School) Annual System of Examination for improvement of performance as per the existing provision for M.Sc. (Hons. Sch.) Semester System for improvement of performae as contained in Regulation 13 at page 121, Cal. Vol. II, 1995:

13. A candidate who has passed the M.Sc. (Hons. School) examination from the Panjab University under the Annual System may re-appear as a private candidate in a course/s he/she wishes to, with a view to improving his/her performance. For this purpose, he/she may be given two chances within a period of 5 years from the date of his/her passing the said degree course. The candidate in the first instance shall be required to intimate all the courses in which he/she would like to improve his/her performances. He/she will, then, appear in the respective course/s at the main Annual examination only i.e. for the course(s) offered for first year and second year in April/May examination. If he/she does not improve his/her performance, in any course/s he/she shall be eligible to do so in the following year only in the April/May Annual examination concerned which would be treated as his/her second chance. The candidate shall be charged examination fee as fixed by the Syndicate from time to time.

8. Amendment of Regulation 9(iv) relating to "Scholarships" at pages 28-29, Cal., Vol. II, 1995.

9. University Scholarships shall be tenable as under on the condition that the holder passes all the University examinations up to the final stage:

(i) to (iii) xxx xxx

(iv) On the result of B.Sc. (Honours School) examination, if recommended by the Board of examiners, For 24 months if the holder joins M Sc. (Honours School) Course.

9. Amendment of Regulations for Master of Mass Communication (M.M.C.) Course at page 158 of P.U. Cal., Vol. II, 1995:

3. The minimum qualifications for admission to the course shall be:

(i) Post graduate Diploma in journalism or Bachelor of journalism degree of this University with no less than 50 per cent marks in the aggregate;

or

(ii) Post-graduate diplomaor degree in journalism/Mass Communication/Communication (e.g. B.J.,B.S. in Communication) from Indian Institute of Mass Communication, New Delhi or any other University/Institute recognise by the University as equivalent to (i) with at least 50 per cent makrs in the aggregate.

10. Amendment of Regulation 1.3 for Certificates in Modern Indian Languages at page 188 of P.U. Cal., Vol. II, 1995, and be given effect to from the examinations of 1996 in anticipation of the approval of the Syndicate/Senate/Govt. of India/Publication in the Govt. of India Gazette.

1.3 The examinations shall be held annually by the University on the dates fixed by the Syndicate.

11. Change in the title relating to Bachelor of Engineering Examination at page 347 of P.U. Cal., Vol. II, 1995: Bachelor of Engineering in Aeronautical, Chemical, Civil, Electrical, Electronics & Electrical Communication, Mechanical Metallurgical, Production Engineering, Computer Science and Engineering, and Industrial Engineering.

12. Change/Amendment in the title and Regulation 3.1 relating to Master of Engineering examination at pages 358-59 of P.U. Cal., Vol. II, 1995:

Master of Engineering (M. Engg.) Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Electronics, Electronics Product Design & Technology and Industrial Materials & Metallurgy.

3.1 A person holding the following quallifications shall be eligible for admission to the course for the degree of Master of Engineering:—

(i) to (v) xxx xxx xxx

(vi) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology/B.Sc. Engineering degree with at least 50 per cent marks in the aggregate in any one of the following specializations for

admission to Master of Engineering in Electronics Product Design & Technology Course:—

Biomedical Engineering and Biochemical Engineering or any other equivalent specialisation.

OR

Computer Science & Engineering or its equivalent.

OR

Electrical Engineering or its equivalent.

OR

Electronics and Electronics Communication Engineering or its equivalent.

OR

Electronic Instrumentation or its equivalent.

OR

(vii) Bachelor of Engineering degree in Matallurgical. Mechanical or Production Engineering with at least 50 per cent marks in the branch concerned at its equivalent examinations passed from another University in the said discipline of Engineering for purposes of admission to Master of Engineering in 'Industrial Materials and Metallurgy' course.

13(a) Amendment of Regulations 2.2 and 3.2 for B.A./B.Sc. (General & Honours) examinations:

2.2 The B.Sc. (General) Programme of study shall consist of 20 credits each credit having a value of 100 marks. A subject studied for the whole academic year shall carry 2 credits. All the theory papers and practicals irrespective of their credit value shall be studied throughout the academic year.

Ist Year	
Compulsory	
(a) English	1 credit
(b) Panjabi/*History & Culture of Punjab in lieu of Panjabi (same syllabi as prescribed for B.A. General examination)	1 credit
Elective	
Any three elective subjects (effective from the admissions of 1995)	6 credits
2nd Year	
Three elective subjects of 2 credits each (effective from the admissions of 1996)	6 credits
3rd Year	
Three elective subjects of 2 credits each (effective from the admissions of 1997)	6 credits
Total	20 credits

*The following categories of the students shall be entitled to take the option of History & Culture of Punjab in lieu of Panjabi as compulsory subject.

Students who are not domiciled in Punjab and have not studied Punjabi upto class 10th.

Wards of/and Defence Personnel and Central Government employees/employees who are transferable on all India basis.

Foreigners.

3.2(a) The B.Sc. (Hons.) programme of study shall consist of 24 credits, each credit having a value of 100 marks. A subject studied for the whole academic year shall carry two credits. All the theory papers and practicals, irrespective of their credit value, shall be studied throughout the academic year.

A student may offer Honours in any one of the elective subjects to be studied by him in all three years of the course provided he has obtained at least 50% marks in the subject concerned in the first year examination of the B.Sc. (General) Course.

(b) of the 24 credits, each students shall offer courses in each year as under:

1st Year	
Same as for 1st year of B.Sc. (General)	8 credits
2nd Year:	
The same as for 2nd year of B.Sc. (General) In addition, there shall be two advanced papers of one credit each in the subject in which he seeks to get Honours degree.	8 credits
3rd Year	
The same as for 3rd year of B.Sc. (General). In addition, there shall be two advanced papers of one credit each in the Honours subject.	8 credits
Total	24 credits

13(b) Amendment of Foot Note of Regulation 2.2 for B.A. (General & Honours) examination.

2.2 The structure of the First year of B.A. Course w.e.f. admissions of 1992-93, shall be as under:—

(i) Compulsory Subjects

(a) Panjabi —two papers	100 marks	These papers will constitute one subject in each year
*History and Culture of Punjab —one paper	100 marks	
(b) English —one paper	100 marks	

(ii) Elective Subjects

Any three elective subjects including languages and vocational course, when introduced.

*(The following categories of students shall be entitled to take the option of History & Culture of Punjab in lieu of Punjabi as a compulsory subject).

Students who are not domiciled in Punjab and have not studied Punjabi upto class 10th.

Wards of/and Defence Personnel and Central Govt. employees/employees who are transferable on all India basis.

Foreigners.

Provided that a student would offer any Science subject, including Mathematics only if he has passed that subject in the qualifying Examintion or qualifies in the subject as a deficient/additional subject from the concerned Board/ University/Council in the supplementary examination subsequent to the admission.

Provided further that a student can offer:

(a) Statistics only if he takes up Mathematics.

(b) Applied Statistics only if he takes up other subject(s) excluding Mathematics.

(S.K. Sharma)
Deputy Registrar (General)

Chandigarh-160 014
Dated: 9-9-1998

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University, this day September 9, 1998.

(Paramjit Singh)
Registrar.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1998